48वी वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

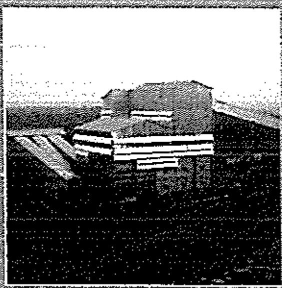

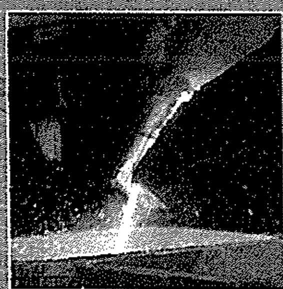

मॉयल लिमिटेड

(पूर्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड)
(सरकारी उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय
मॉयल भवन 1, ए, काटोल रोड,
नागपुर–440013.

इस्पात को शक्तिशाली बनाये.......

भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक श्री के.जे. सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान करते हुये

मॉयल लिमिटेड

(पूर्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड)
(सरकारी उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय
मॉयल भवन 1, ए, काटोल रोड,
नागपुर–440013.

निदेशक मंडल

अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक

श्री. के. जी. सिंह

निदेशक

डॉ. दलीप सिंह

श्री. ए. एम. खान

श्री. एस. के. मिश्रा

डॉ. श्री. सुबीर के. भट्टाचार्या
(25 - 06 -2010 से)

श्री. विजय व्ही. काले
(25 - 06 -2010 से)

डॉ. मधू विज
(25 - 06 -2010 से)

श्री. ए. बलराज
(25 - 06 -2010 तक)

डॉ. डी.डी. कौशिक
(25 - 06 -2010 तक)

डॉ. एम. महाराजन
(25 - 06 -2010 तक)

श्री. एम. ऐ. वी. गौतम
निदेशक (वित्त)

श्री. ए. के. मेहरा
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री. जी. पी. कुंदरगी
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)

कंपनी सचिव

श्री. नीरज डी. पाण्डेय

अंकेक्षक

शाह बाहेती चाण्डक अन्ड कं.
सनदी लेखापाल,नागपूर.

बैंकर्स

सिंडीकेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
आई.डी.बी.आई.बैंक लि.

विषय

1	निष्पादन : एक दृष्टि में	3
2	अध्यक्ष का वक्तव्य	6
3	अंशधारियों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट (अनुलग्नक)	9
4	लेखा परिक्षकों की रिपोट	27
5	महालेखा नियंत्रक की टिप्पणियाँ	32
	वार्षिक लेखा	
6	तुलनपत्र	33
7	लाभ हानि लेखा	34
8	लेखा की अनुसुचियाँ एवं अनुलग्नक	36
9	कम्पनीके तुलनापत्र का सारांश तथा सामान्य कारोबार की रुपरेखा	53

निष्पादन : एक दृष्टि में

वित्तीय (रु.लाखो में)

विवरण	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
वित्तीय (रु.लाखो में)							
कारोबार	**96547.09**	128484.06	97335.83	41762.99	33409.96	37877.58	22874.25
अन्य आय	**13625.66**	12314.68	5668.47	3419.26	2209.34	934.34	585.39
कुल आय	**110172.75**	140798.74	103004.30	45182.25	35619.30	38811.92	23459.64
सकल पडता	**73209.27**	103142.25	75098.44	21020.78	17947.46	21065.17	5266.73
कर पूर्व लाभ	**70679.41**	100675.67	73490.79	20114.58	16900.48	20226.73	4529.43
कर पश्चात लाभ	**46634.71**	66379.33	47981.77	13420.75	11451.71	12690.03	2851.60
लाभांश	**9408.00**	13300.00	9660.00	2800.00	1992.27	919.51	459.75
अंश पूंजी	**16800.00**	2800.00	2800.00	2800.00	1532.51	1532.51	1532.51
आरक्षित एवं अधिशेष	**150937.10**	129287.22	78468.22	43348.50	34404.57	25224.55	13584.16
कर्जदारी	**- NIL -**	- NIL -	- NIL -	- NIL -	- NIL -	- NIL -	- NIL -
सकल खंड	**35702.66**	34199.97	30247.57	1715.97	13928.47	12638.97	11272.08
कार्यशील पूंजी	**147127.32**	111817.20	63200.54	34285.38	28278.00	20871.24	9833.00
नियोजित पूंजी	**166781.37**	132380.87	82088.42	41894.00	33772.00	26077.00	14207.00
नियोजत पूंजी पर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	**42.38**	76.05	89.53	48.01	50.04	77.57	31.88
विक्री पर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	**73.21**	78.36	75.50	48.16	50.59	53.40	19.80
शुद्ध संपति	**167737.10**	132087.22	81268.22	45763.59	34603.86	25726.04	13969.84
ईपीएस	**27.76**	2370.69	1713.63	479.31	697.82	828.06	186.07
सम्यक अनुपात	**- NIL -**	- NIL -	- NIL -	- NIL -	- NIL -	- NIL -	- NIL -
राजकोष में योगदान							
आयकर	**24611.61**	34122.93	24112.29	6035.41	5501.49	7529.65	1719.17
लाभांश कर	**1576.83**	2260.33	1641.72	409.33	124.66	130.14	68.91
बिक्री कर	**2254.81**	3072.00	2925.83	1524.00	1348.10	1642.24	914.64
रॉयल्टी एवं उपकर	**3469.42**	3500.34	2688.17	1148.88	908.62	1036.53	586.52
उत्पाद शुल्क	**293.26**	464.00	763.49	381.85	460.87	408.15	481.25
मध्यप्रदेश रोड कर	**1941.23**	2511.12	2802.71	- NIL -	- NIL -	- NIL -	- NIL -
कुल	**34054.26**	45930.72	34934.21	9499.47	8343.74	10746.71	3770.49
वस्तुगत उत्पादन							
मैंगनीज अयस्क (लाख टन में)	**10.93**	11.75	13.65	10.47	8.65	9.43	7.99
फेरो ग्रेडस (लाख टन में)	**5.95**	6.31	6.44	6.06	5.72	5.49	5.43
ई.एम.डी. (टन)	**1150.00**	1240	1122	1312	1301	1123	975
फैरो मैंगनीज (टन)	**9555.00**	10120	11130	10200	6170	10325	10899
उत्पादन प्रति मानवपाली (टन)	**0.728**	0.766	0.877	0.664	0.551	0.610	0.507

निदेशक मंडल

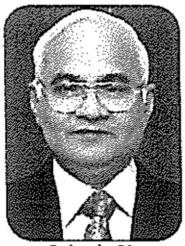

श्री के.जे.सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सरकारी निदेशक

डॉ. दलिप सिंह

श्री ए.एम.खान

श्री एस.के.मिश्रा

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. सुधीर के. भट्टाचार्या

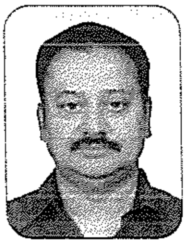

श्री विजय काले

डॉ.मधु विज

कार्यकारी निदेशक

श्री. एम.ए.वी.गौतम

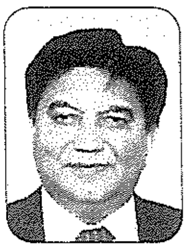

श्री. ए.के.मेहरा

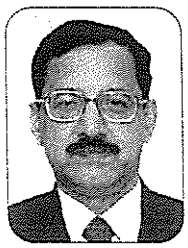

श्री.जी.पी.कुंदरगी

कंपनी सचिव

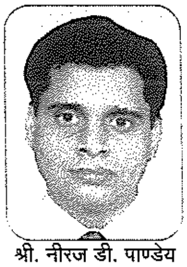

श्री. नीरज डी. पाण्डेय

सेवा निवृत्त निदेशक

श्री. ए. बलराज

डॉ. डी. डी. कौशिक

डॉ. एम. महाराजन

सी.व्ही.ओ.

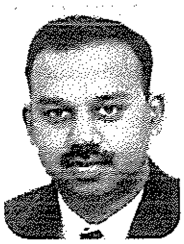
श्री. प्रदिप गुप्ता (आय.पी.एस.)

वरिष्ठ अधिकारी

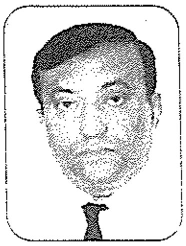
श्री. व्ही. आर. सेनगुप्ता
(महाप्रबंधक कार्मिक)

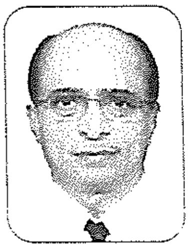
श्री. एम. डी. सोरठीया
(महाप्रबंधक सुरक्षा एवं पर्यावरण)

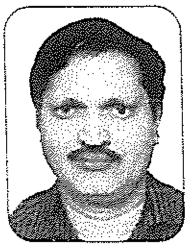
श्री. डी. शोम
(महाप्रबंधक उत्पादन एवं गुणवत्ता)

दिनांक 23 जुलाई 2010 को नागपुर में संपन्न हुई 48 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा में अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयर धारकों,

कंपनी की 48 वीं वार्षिक सर्वसाधरण सभा में , निदेशक मण्डल की ओर से , आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ । नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं निदेशकों की रिपोर्ट सभी अंशधारकों को पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति से मैं समझता हूँ कि आपने उसे पढलिया होगा ।

बाजार परिदृश्य :

वित्तीय वर्ष 2009-10 चुनौती पूर्ण रहा । किन्तु भारत सरकार के प्रोत्साहन उपायों का हमें आभारी होना चाहिए कि जिस वर्ष का प्रारंभ आर्थिक मंदी के धुंधलके में हुआ था उसकी समाप्ति कंपायमान आर्थिक उछाल के साथ हुई ।

मैंगनीज अयस्क की मांग तथा इस्पात उद्योग का कार्यनिष्पादन आपस में जुडे हुए हैं इसलिए इस्पात उद्योग के विकास संभावनाओं से ही मैंगनीज अयस्क का बाजार बुनियादी तौर पर आगे बढता है ।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 ने जीडीपी बढत दर 7-7.5% के आधार पर वर्ष 2019-20 तक खपत में 7% वृद्धि तथा 110 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन परिलक्षित किया है । इन अनुमानों में काफी बडी बढत होगी तथा '' अति संभावित परिदृश्य '' के आधार पर यह मूल्यांकन किया गया है कि वर्ष 2011-12 तक देश में कच्चे इस्पात उत्पादन की क्षमता करीब -करीब 124 मिलियन टन होगी ।

देश के विभिन्न भागों में ग्रिन फिल्ड तथा /या ब्राउन फिल्ड परियोजनाओं के रूप में बडे उत्पादकों द्वारा बडी बडी विस्तार योजनाओं की घोषणा से देश के इस्पात बाजार में नव जीवन का संचार देखा जा रहा है । विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के निर्णय से भारतीय इस्पात उद्योग में ''वैश्विकरण'' की भावना पैदा हुई है ।

घरेलू भारतीय इस्पात उत्पादक भी पीछे नहीं है तथा उनका कार्य निष्पादन अपवादात्मक रूप से अच्छा है । भारत, विश्व के देशों में से एक बडे कच्चे इस्पात उत्पादक के रूप में उभरा तथा कार्य योजना के अनुसार प्रस्तावित विस्तार योजनाओं को लागू किया जाता है तो, 2015-16 तक भारत विश्व का दूसरा सबसे बडा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन जाएगा ।

विश्व के आर्थिक संकट के प्रभाव के कारण, वर्ष 2008-09 के दौरान, उसके पहले तीन वर्षोका 9% आर्थिक विकास दर, फिसलकर, 6.7% हो गया था । किन्तु वर्ष 2009-10 के दौरान वह वापस उछलकर 7.4% हो गया तथा दो अंकीय वृद्धि दर की ओर बढ रहा है । आने वाले वर्षोमें वह विश्व की तेज रफ्तार से बढने वाली अर्थ व्यवस्था बनने के लिए इस वर्ष 8.5-9% का आंकडा छू लेगा ।

बढती हुई मुद्रास्फीती के कारण, लागत खर्च में वृद्धि उद्योग के लिए मुख्य चिन्ता का विषय है । सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के कदम उठाए है तथा आने वाले समय में उसमें कमी आने की अपेक्षा है ।

कार्य निष्पादन अधिदृश्य

समस्त विश्व में व्याप्त कठिनाई भरी आर्थिक स्थिति के बावजूद पिछले वर्ष 2009-10 के दौरान आपके कंपनी का कार्य निष्पादन काफी उल्लेखनीय रहा ! वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी के प्रमुख कार्य निष्पादन का विवरण नीचे दर्शाएअनुसार है :-

वित्तीय निष्पादन :

रूपये करोड में

विवरण	वास्तविक	एमओयू लक्ष्य	% उपलब्धि
बिक्री कारोबार	965.47	632.59	153
ब्याज,मूल्यह्रास एवं कर के पूर्व लाभ (EBIDTA)	732.09	392.05	187
वर्ष का कर पूर्व लाभ (PBT)	706.79	364.21	194
वर्ष का कर पश्चात लाभ (PAT)	466.35	240.42	194

मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2009-10 के लिए नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से आपकी कम्पनी को ''शून्य'' टिप्पणी प्राप्त हुई है ।

भौतिकी निष्पादन:

उत्पादन:

वर्ष 2009-10 के दौरान मॉयल ने 10.93 लाख टन विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है तथा वर्ष के लिए तय 10.75 लाख टन लक्ष को सफलतापूर्वक प्राप्त किया ।

बिक्रीः

आपकी कंपनी ने वर्ष 2009–10 के दौरान 9.60 लाख टन के लक्ष को पार करते हुए 11.75 लाख टन विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की बिक्री की है ।

लाभांशः

कंपनी के अंशधारकों के संपत्ति निर्माण की बचनबद्वता को पूर्ण करने के लिए आपके निदेशक मण्डल ने , बडी हुई इक्वीटी अंश पूंजी पर, 56% (पहले भुगतान किया जा चुका 22% अंतरिम लाभांश मिलाकर) लाभांश की सिफारिश की है जिसकी राशि 94.08 करोड रूपये है ।

पूंजी का पुर्नगठन :

कंपनी के प्रचालन कार्य के संगत स्तर पर अंश पूंजी को लाने हेतु, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी को 100 करोड रूपये से बढाकर 250 करोड रूपये कर दिया गया है । इसके आगे अंश पूंजी को नियोजित पूंजी के समकक्ष लाने हेतु आपकी कंपनी ने 1:5 के अनुपात में बोनस शेअर जारी किए तथा शेअर के प्रत्यक्ष मूल्य को 100 रूपये से प्रत्येकी 10 रूपये कर दिया । कंपनी की उत्तर बोनस प्रदत्त इक्वीटी अंश पूंजी, 10 रूपये प्रति शेयर के 16.8 करोड शेअर, 168 करोड रूपये होते है ।

निगमित संचालन :

आपकी कंपनी अपने सभी स्टेक होल्डरों के साथ परस्पर क्रिया करते समय निगमित अधिशासन के उच्च मानदण्डों को अपनाने का प्रयास करती है । सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों में निर्देशित, निगमित अधिशासन के संहिता का अधिक से अधिक पालन करने का कंपनी पूरा पूरा प्रयास करती है । आपकी कंपनी ने निगमित अधिशासन पालन के दायरे में संपूर्ण कंपनी के स्टेक होल्डर विशेषतः अंशधारक , ग्राहक , कर्मचारी को शामिल करते हुए पालन के दायरे का विस्तार किया है । निगमित शासन की रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है ।

मानव संसाधन विकासः

किसी भी संस्थान का मानव संसाधन उसकी मूल्यवान संपत्ति होती है तथा आपकी कंपनी ने इस अति किमती संसाधन को अत्याधिक महत्व दिया है । कंपनी में पूर्ण विकसित कार्मिक विभाग है जो उत्तम संभाव्य प्रतिभा को आकर्षित एवं भर्ती करती है तथा भविष्य के संकल्पनाओं के अनुरूप उन्हें संवारती है । कर्मचारियों द्वारा कंपनी के कार्य निष्पादन को उंचा उठाने के प्रयासों की निदेशकगण सराहना करना चाहते है ।

कंपनी ने वर्ष 2009–10 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए नया वेतन समझौता एवं वेतन संशोधन लागू किया है ।

समाज के प्रति वचनबद्वता :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वः

आपकी कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति वचनबद्व है । वह निगमित सामाजिक जिम्मेदारी केउत्तम व्यवहार को अपनाने का प्रयास करती है तथा पर्यावरण के साथ साथ नैतिक जागरण के आचरण का निरूपण करता है ।

कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत, अपना विशेष ध्यान मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य सेवा, जन सेवा ,परिसरीय विकास, सांस्कृतिक उत्फुल्लन , नैसर्गिक विपदाओं में मदत, विभिन्न पाठशालाओं को सहायता, सामान्यजन के लाभ के लिए चलाये जा रहे विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, चिकित्सा सहायता एवं सुविधा प्रदान करना जैसे अम्बुलंस ,मुफ्त मोतियाबिन्द शस्त्र क्रिया एवं मुफ्त नेत्र परीक्षण इत्यादि , पर केन्द्रित किया है । कंपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों का दायरा और अधिक बढाने के लिए प्रयासरत है ।

पर्यावरण :

मॉयल पर्यावरण संरक्षण तथा उसके व्यापारिक गतिविधियों के मध्य संतुलन बनाये रखते हुए मानव – जाति की मूल्यवान विरासत, निसर्ग को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्व है । वह सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य

परिवेश प्रदान करता है । कंपनी ने पिछले वर्ष के अंत तक लगभग 16.61 लाख पौधों का संचित रोपण किया है । पर्यावरणीय अनुपालनकर्ता तथा उर्जा प्रभावशाली कंपनी के बतौर आपकी कंपनी ने अपारम्पारिक उर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहित किया है तथा मध्यप्रदेश के देवास के निकट नागदा पहाडियों पर 20 मेगावाट क्षमता का पवन उर्जा टरबाईन परियोजना स्थापित किया है । जून 2010 तक इसके द्वारा 96.30 मिलियन यूनिट की बिजली निर्माण की गई है तथा राज्य के विद्युत आवश्यकताओं को कुछ अंशतक पूरा करने के लिए राज्य ग्रीड में मुहैय्या कराई गई है ।

मान्यता :

मॉयल के कार्य निष्पादन को विभिन्न प्राधिकारियों एवं संस्थानों द्वारा मान्यता मिली है । कुछ नीचे दर्शाये अनुसार है :–

- वर्ष 2007 के लिए भारत सरकार के माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार ।
- वर्ष 2007 के लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एम.ओ.यू. उत्कृष्टता पुरस्कार ।
- वर्ष 2009 के लिए कान्द्री खान को राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण पुरस्कार ।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता वृत्त पुरस्कार 2009
- व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाण पत्र
- डोंगरी बुजुर्ग खान को दीर्घ दुर्घटना मुक्त कालावधि के लिए विजेता ट्राफी

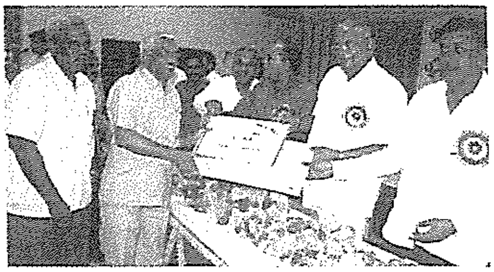

- बेलडोंगरी खान को न्यूनतम चोट आवृत्ति दर के लिए ट्राफी
- कंपनी के सर्तकता विभाग को आय.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र

कम्पनी का नाम परिवर्तन :

आपकी कंपनी शुरूवात में ''मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड '' के नाम से निगमित की गई थी । किन्तु इन दिनों, वह उद्योग, ग्राहक तथा सामान्यजन द्वारा '' मॉयल'' के संक्षिप्त नाम से ही अच्छी तरह जानी जाती है । इसके अलावा , कंपनी संयुक्त उद्यम, कोयला खनन क्षेत्र में विस्तारिकरण कार्यक्रम, बिजली निर्माण तथा विदेशों में खनन कार्य आदि जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य कर रही है । ऐसी हालत में, यदि कंपनी अपने व्यापार का विविधिकरण करती है तो वर्तमान कंपनी का नाम उसके व्यापार गतिविधियों को निर्देशित नहीं कर पायेगा । इसे ध्यान में रखते हुए तथा इसे अच्छी तरह सम्बोधित किए जाने के लिए, निदेशक मण्डल ने कंपनी का नाम ''मॉयल लिमिटेड'' रखने का प्रस्ताव किया है । कंपनी के नाम परिवर्तन को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने भी अपनी मंजूरी प्रदान की है ।

इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) :

मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी लाभ कमाने वाली केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में उनके शेअर जनता के लिए खोलकर जनता की उसमें भागीदारी को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति का अवलम्बन करते हुए, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने आपकी कंपनी के शेअर को आई पी ओ द्वारा जनता के लिए खोलने की सिफारिश की है । कंपनी के प्रस्तावित आई पी ओ से न केवल सभी संबंधित स्टेकहोल्डर के लिए मूल्य का मार्ग खुलेगा, बल्कि सामान्य जनता के प्रति कंपनी को और अधिक उत्तरदायी बनाएगी ।

भविष्य का दृष्टिकोण :

मैंगनीज अयस्क का बाजार जटिलतौरपर इस्पात उद्योग की नियती के साथ जुडा हुआ है । अतः आने वाले समय में कंपनी का कार्यनिष्पादन इस्पात उद्योग के कार्य निष्पाद पर निर्भर होगा । विश्व इस्पात असोसिएशन ने भविष्य वाणी किया है कि वर्ष 2010 में विश्व का प्रकट इस्पात उपयोग 1241 मिलियन टन होगा अर्थात वह 10.07% से बढ जाएगा । उन्होंने आगे कहा है कि संकट के समय भी भारत के इस्पात मांग में स्थायी वृद्धि बनी रही है तथा आने वाले वर्षोमें उसमें 14% की वृद्धि अपेक्षित है । पिछले वर्ष 60-61 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की तुलना में भारत में वर्ष 2010-11 (अप्रेल-मार्च) में 65 मिलियन टन उत्पादन होना अपेक्षित है । वर्ष 2011 में भारत का प्रकट इस्पात उपयोग 71.6 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा ।

सरकार एवं उद्योग द्वारा आने वाले 3-5 वर्षोमें 121मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य , जो देश के वर्तमान क्षमता के दुगने से भी ज्यादा है, को प्राप्त करने के प्रयासों के कारण,भारत ने अन्य देशों की तुलना में विकास के साथ अच्छा संतुलन बनाये रखा है । देश केफेरो श्रेणी मैंगनीज अयस्क का 60% प्रतिपादित आरक्षित भंडार मॉयल के पास है । मॉयल देश की मैंगनीज अयस्क की सबसे बडी उत्पादक कम्पनी है तथा उसे देश के उत्पादन का 50% उत्पादन करने का श्रेय है । अपने मजबूत आधार के कारण मॉयल उच्च बिक्री के अवसरों को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह स्थापित है ।

मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्षोकी तुलना में , चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने जा रही है । कंपनी ने जून 2010 तिमाही के समाप्ति तक 349 करोड रूपये का बिक्री कारोबार कर लिया है जो कंपनी के आरंभ से किसी भी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक बिक्री कारोबार रहा है ।

उद्योग के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने अनेक कदम उठाए है तथा आने वाले वर्षोमें अगले कदमों की भी योजना है । उनमें से कुछ इस प्रकार है :-

- छत्तीसगढ एवं आंद्र प्रदेश में फेरो एलाईस संयंत्र स्थापित करने के लिए क्रमशः सेल एवं आर आईएनएल के साथ अलग अलग संयुक्त उद्यम योजना समझौता कर लिया है । इन दोनों संयंत्रों की कुल क्षमता लगभग 1.63 लाख टी.पी.ए. होगी । इन दोनों परियोजनाओं में मॉयल का कुल निवेश 300 करोड रूपये होगा । परियोजना का काम कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है ।

- वर्तमान उत्पादन के स्तर में सुधार लाने हेतु तथा आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए भी, आपकी कंपनी ने विभिन्न विकास कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, जैसे – गुमगांव, मनसरएवं उकवा खान में वर्टीकल शाफ्ट का निर्माण, बालाघाट तथा बेलडोंगरी के वर्तमान शाफ्ट का गहरीकरण करना । यह परियोजनाएं अपने विभिन्न चरणों में काम कर रही है ।

- उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खनन प्रचालन का मशीनीकरण, भूतल तथा भूगर्भ का डेवलपमेंट तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए खनिज उन्नयन के द्वारा रिकवरी में सुधार किया गया है ।

यहां , मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए विस्तारीकरण एवं विविधिकरण योजना के एक भाग के तौर पर , आपकी कंपनी अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोयला खनन, बिजली निमार्ण तथा विदेशों में खान अभिग्रहण के क्षेत्र में भी अवसरों की खोज कर रही है । बदलते हुए आर्थिक परिवेश एवं आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मॉयल अगले 10 वर्षोके लिए नए कार्पोरेट प्लान पर भी काम कर रही है । अपने भंडार एवं संसाधनों का आपकी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत प्रयोग, JORC के मानकों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए भी कदम उठाए है जिससे मैंगनीज अयस्क के भंडार की स्थिति एवं मूल्य तय करने में मदद मिलेगी ।

आभार :

आपकी कंपनी की यह उपलब्धि, उसके कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए समर्पण , कर्मठता एवं उत्तरदायित्वता के कारण संभव हो सकी है । मैं सभी कर्मचारियों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने संस्थान के समक्ष आई चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार प्रयास किया है । मैं मंडल के सभी निदेशकों के बहुमूल्य योगदान तथा सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिस कारण कंपनी उत्कृष्ट कार्य निष्पादन प्राप्त करने में सफल हुई है । मैं, इस्पात मंत्रालय , भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार, अन्य राज्य सरकार,कंपनी के बैंकर्स एवं हमारे मम्मानननीय ग्राहकों के मदद एवं सहयोग के लिए विशेषरूप से धन्यवाद प्रकट करता हूँ ।

मैं सच्चाई के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी स्टेक होल्डर्स के लगातार सहयोग से मॉयल आने वाले वर्षोमें नई उंचाईयों को हासिल कर लेगी ।

पुनः आप सभी का धन्यवाद,

स्थानः नागपुर
दिनांक : 23 जुलाई 2010

के.जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

अंशधारियों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

आपके अंशधारकों की ओर से कंपनी के व्यापार एवं प्रचालन के संबंध में कंपनी की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का अंकेक्षित लेखा–जोखा पेश करते हुए हर्ष हो रहा है ।

वित्तीय परिणाम :

वर्ष 2009–10 तथा गत वर्ष का वित्तीय परिणाम नीचे दर्शाए अनुसार है :–

रुपये करोड में

	2009-10	2008-09
बिक्री टर्न ओवर	**965.47**	1284.84
अन्य आय	**136.26**	123.15
कुल आय	**1101.73**	1407.99
ब्याज पूर्व लाभ मूल्य ह्रास एवं कर (ईबीआईडीटीए)	**732.09**	1031.42
मूल्य ह्रास	**25.30**	24.67
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**706.79**	1006.76
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	**240.44**	342.96
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी)	**466.35**	663.80
सामान्य आरक्षण को स्थानांतरण	**357.00**	508.00

वित्तीय अनुपात कुंजी

	2009-10	2008-09
बिक्री करोबार का ईबीआईडीटीए (%)	**75.83**	80.28
शुद्ध मूल्य पर पीएटी (%)	**27.80**	50.25
नियोजित औसत पूंजी का ईबीआईडीटीए (%)	**48.94**	96.18
प्रति शेयर आय (प्रत्यक्ष मूल्य रूपये प्रति 10)	**27.76**	39.51
प्रति शेयर बही खाता मूल्य	**99.84**	78.62

टिप्पणी :
वर्ष 2009–10 के दौरान कंपनी ने 1:5 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे तथा शेअर का बही खाता मूल्य 100 /– प्रति से बदलकर 10 /– भी किए थे । तद्नुसार शेअर का ईपीएस एवं बही खाता मूल्य पिछले वर्ष के लिए पुनः गठन किया गया ।

अंश पूजी :

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 1:5 के अनुपात पर बोनस शेअर जारी किए तथा शेअर का बही खाता मूल्य 100 /– प्रति से बदलकर 10 /– भी किया जिसके परिणाम स्वरूप शेअरों की संख्या एवं प्रदत्त इक्वीटी शेअर पूंजी क्रमशः 28 लाख से बढकर 16.80 एवं 28 करोड से बढकर 168 करोड हो गई । वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेअर पूंजी भी बदलकर 100 करोड से 250 करोड अर्थात 10/– रूपये प्रति शेअर की दर 25 करोड इक्वीटी शेअर ।

लाभांश :

आपकी कंपनी लाभांश भुगतान के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों का बराबर पालन करती आ रही है । वर्ष के दौरान 36.96 करोड रूपये (पिछले वर्ष 56 करोड रूपये) का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया । अंशधारियों के स्वीकृति पर निदेशक मण्डल ने आगे 57.12 करोड रूपये (पिछले वर्ष 77.00 करोड रूपये) का अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश किया । वर्ष 2009–10 के लिए बढी हुई पूंजी आधार का 56% कुल लाभांश का भुगतान किया गया । यदि उसे पूर्व बोनस में परिवर्तित किया जाए तो वह 336% आता है (475 %) ।

वित्तीय निष्पादन :

वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय इस्पात सेक्टर, '' रोलर कोस्टर राईड '' का प्रत्यक्षदर्शी रहा उसके बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 1284.84 करोड रूपये की तुलना में 965.47 करोड रूपये का कारोबार दर्ज किया । मैंगनीज अयस्क के मूल्य में गिरावट के कारण लाभ के मार्जिन में भी तनाव रहा । परीवीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिकारियों का नया वेतनमान लागू किया तथा कर्मचारी एवं कामगारों का वेतन संशोधन भी लागू किया जिसका कंपनी के चालू वर्ष साथ ही आने वाले वर्ष के लाभ मार्जिन भी प्रभावित हुआ है । इसके बावजूद कंपनी ने पिछले वर्ष के 663.80 करोड रूपये कर पश्चात लाभ की तुलना में 466.35 करोड रूपये कर पश्चात लाभ अर्जित किया । आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान भी विवेकपूर्ण नगद राशि योजना को जारी रखा है तथा सरकारी दिशा निर्देशानुसार अधिशेष नीधि को सावधी जमा में नियोजित किया है तथा पिछले वर्ष के 103.87 करोड रूपये की तुलना में 121.68 करोड रूपये ब्याज आय के तौर पर अर्जित किया है ।

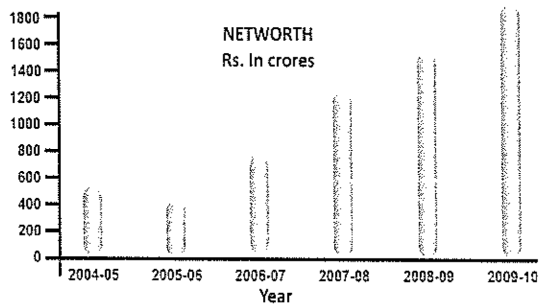

बिक्री :

आपके निदेशक इस पर गर्व करते हैं कि 9.7 लाख टन की विक्री के लक्ष्य पर चालू वर्ष के दौरान 11.75 लाख टन मैंगनीज अयस्क की विक्री दर्ज की गई , परिणाम स्वरूप लगभग 122% की उपलब्धि प्राप्त हुई । सम्पूर्ण विश्व की अर्थ व्यवस्था भारी तनाव में थी । खास तौर पर वर्ष 2008-09 के प्रथम छःमाही के दौरान । हालाकि वर्ष के इस अवधि के पश्चात बाजार में कुछ मजबूती दिखाना प्रारंभ किया तथा पिछले वर्ष जो इस्पात की मांग में भारी कमी आई थी में चढाई आया जिसके परिणाम स्वरूप मैंगनीज अयस्क की मांग में भी साथ साथ वृद्धि हुई । चालू वर्ष 2009-10 के प्रारंभ में, पिछले वर्ष के इसी अवधि के मैंगनीज के मूल्य की तुलना में ,करीब करीब 60% से कम थे । यद्यपि मूल्य में सुधार प्रारंभ हुआ । इन सभी उतार-चढाव को देखा जाए तो वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी का कार्य निष्पादन काफी उल्लेखनीय रहा । कंपनी अपने दूरदर्शि व्यापार नीति के कारण मंदी के दौर में भी उत्कृष्ट विक्री कारोबार करने में सफल रही । इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साईट (ई.एम.डी.) की 857 टन की बिक्री हुई जबकि लक्ष्य 1000 टन था अर्थात लक्ष्य की 86% की उपलब्धि हुई। फेरो मैंगनीज की बिक्री 7479 टन की हुई जबकि लक्ष्य 10000 टन था अर्थात उत्पादन के लक्ष्यों की 75% की उपलब्धि हुई । हालाकि वर्ष 2010-11 के पहले महीने में ही पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर मूल्य पर 3450 टन फैरो मैंगनीज का ऑर्डर बुक कर लिया था । वर्ष 2009-10 के दौरान विक्री कारोबार रूपयों में 965.47 करोड था (ई.एम.डी. , फैरो मैंगनीज तथा डब्ल्यू टी जी यूनिट का कारोबार क्रमशः रूपये 5.80 करोड, 40.27 करोड तथा 9.31 करोड का समावेश है) जबकि लक्ष्य रूपये 632.59 करोड (ई.एम. डी. फैरो मैंगनीज तथा डब्ल्यू टी जी यूनिट का लक्ष्य क्रमशः रूपये 5.63 करोड, 48.83 करोड तथा 11.73 करोड का समावेश है) ।

उत्पादन एवं उत्पादकता:

आपकी कंपनी ने मंदी के दौर को अपनी उत्पादन गतिविधियों को बाजार की स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकता के साथ सुव्यवस्थित एवं पूर्वाभिमुख्य बनाने का अवसर समझा । उसने , अर्थ व्यवस्था में विशेष कर वर्ष के प्रथम छःमाही में मंदी रहने के बावजूद चालू वर्ष में , विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के 10.75 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य को सफलता पूर्वक पार किया तथा 10.93 लाख टन का उत्पादन दर्ज किया (पिछले वर्ष 11.75 लाख टन) । इलैक्ट्रीलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड (ई.एम. डी.) का उत्पादन 1150 टन (गत वर्ष 1240 टन) किया जो कि 1300 टन के निर्धारित लक्ष्य का 88% रहा । ई.एम.डी. के उत्पादन में चालू वर्ष के दौरान ई.एम.डी.संयंत्र के वार्षिक रखरखाव कार्य के लिए 2 माह के लिए संयंत्र बंद रहा, जिस कारण ई.एम.डी. के उत्पादन में कमी आई । फैरो मैंगनीज का उत्पादन 9555 टन (गत वर्ष 10120 टन) हुआ जो निर्धारित लक्ष्य 8760 टन का 109% रहा । कंपनी ने प्रति मानव पाली 0.728 (गत वर्ष 0.766 टन) की उत्पादकता अर्जित किया जबकि लक्ष्य 0.500 टन था ।

कंपनी के पास पिछले वर्ष दिनांक 31.3.2009 के 39.95 करोड रूपये का 1.77 लाख टन मैंगनीज अयस्क के बंद भंडार की तुलना में दिनांक 31.3.2010 को 20.36 करोड रूपये का 0.67 लाख टन मैंगनीज अयस्क का बंद भंडार रहा । कंपनी के पास पिछले वर्ष दिनांक 31.3.2009 के 2 .21 करोड रूपये का 414.60 ई.एम.डी. (11.60 टन प्रक्रिया अंतर्गत का समावेश) के बंद भंडार की तुलना में दिनांक 31.3.2010 को 4.52 करोड रूपये का 726.72 टन ई.एम.डी. (30.72 टन प्रक्रिया अंतर्गत का समावेश) का बंद भंडार रहा । कंपनी के पास पिछले वर्ष दिनांक 31.3.2009 के 9.50 करोड रूपये का 2368 टन फैरो मैंगनीज के बंद भंडार की तुलना में दिनांक 31.3.2010 को 16.32 करोड रूपये का 4444 टन फैरो मैंगनीज का बंद भंडार रहा । प्रचलित बाजार स्थिति के परिणाम स्वरूप माल के कम उठाव के कारण ई.एम.डी. एवं फेरो मैंगनीज शेष रहा । निदेशक यहां उल्लेख करना चाहते है कि 2010-11 अप्रेल माह में कंपनी ने 3450 टन फेरो मैंगनीज का ऑर्डर बुक किया ।

पूंजीगत / मूल्यवर्धित परियोजनाएं :

1) खनन परियोजनाएं :

i) गुमगांव खान में वर्टिकल शाप्ट की खुदाई :

गुमगांव खान की ओर बाडी में बडे रिजर्व के साथ उच्च श्रेणी मॅगनीज अयस्क का है । इस अयस्क का सुरक्षित तथा व्यवस्थित दोहन करने हेतु ओर हेंडलिंग सिस्टम के साथ अनुमानित 16.71 करोड रूपये पर खान में वर्टीकल शाप्ट सिंकिंग किया जा रहा है । इस परियोजना से उत्पादन तथा उत्पादकता एवं सुरक्षा में सुधार होगा । 190 मीटर की कुल सिंकिंग के लक्ष्य पर आज तारीख तक 157 मीटर सिंकिंग हो चुकी है । सिंकिंग का कार्य तथा जुडे हुए कार्य जैसे हेड गियर की प्रस्थापना, लाईनिंग,साज सामान इत्यादि काम संतोषजनक प्रगति पर है । अप्रेल 2011 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की अपेक्षा है ।

ii) बालाघाट खान वर्टिकल शाप्ट का गहरीकरण:

वर्तमान उत्पादन स्तर को कायम रखने तथा आने वाले वर्ष में बडी हुई मांग को पूर्ण करने के लिए उसमें वृद्धि करने हेतु कंपनी ने बालाघाट खान वर्टिकल शाप्ट को 10 लेवल से आगे 15 लेवल तक गहरीकरण करने का कार्य हाथ में लिया । जिसका सिंकिंग ,लाईनिंग ,सज्जीकरण इत्यादि का मिलाकर कुल 157 मीटर का कार्य है । परियोजना का कुल मूल्य 6.51 करोड रूपये है तथा अक्टूबर 2010 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है । अब तक 129 मीटर सिंकिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्य निर्धारित योजना के हिसाब से प्रगति पर है ।

iii) बेलडोंगरी खान वर्टिकल शाप्ट का गहरीकरणः
वर्तमान लेवल में रिजर्व के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप कंपनी ने बेलडोंगरी खान के वर्टिकल शाप्ट को और अधिक गहरे हॉरिजन तक गहरीकरण करने का कार्य हाथ में लिया है जिससे उत्पादन बना रहकर आने वाले वर्षोमें उसमें वृद्धि होगी। शाप्ट को 45 मीटर तक गहरा करना है । शाप्ट का गहरीकरण एवं सज्जीकरण का कार्य ,वर्ष के दौरान निर्धारित समय पर पूर्ण हो चुका है । शाप्ट का कार्य भी आरंभ हो चुका है । इस परियोजना की कुल लागत 2.97 करोड रूपये है ।

iV) मनसर खान वर्टिकल शाप्ट का गहरीकरणः
वर्तमान उत्पादन स्तर में सुधार लाने तथा आने वाले वर्षोमें बडी हुई मांग की पूर्ति करने में सक्षम होने के लिए भी कंपनी मनसर तथा उकवा खान पर नये सिंकिंग शाप्ट बनाने का कंपनी का प्रयोजन है । मनसर खान से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा कार्य–आदेश देने का कार्य प्रगति पर है । उकवा के संबंध में निविदा जारी कर दी गई तथा पार्ट–ख खोला गया ।

२) रणनीतिक निवेश :

अ) मॉयल एवं सेल :
आपकी कंपनी ने सेल (SAIL) के साथ संयुक्त उद्यम (50:50)के तहत छत्तीसगढ राज्य में भिलाई के निकट नंदीनी में 31000 टन फेरो मैंगनीज एवं 75000 टन सिलिको मैंगनीज का 1.06 लाख टीपीए क्षमता का फेरो अलाईस संयंत्र स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है । इस परियोजना को लागू करने के सभी बुनियादी कदम उठाए गए है तथा प्रमुख उपकरणों को खरीदने हेतु निविदाएं जारी कर दिए गए हैं । यह परियोजना निर्धारित 24 महिनों की अवधि में पूर्ण की जाएगी ।

ब) मॉयल एवं आरआयएनएल :
उसी तरह आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के साथ संयुक्त उद्यम (50:50)के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के विजाग जिले के बोबीलि में 20000 टन फेरो मैंगनीज एवं 37500 टन सिलिको मैंगनीज का 57500 टीपीए क्षमता का फेरो अलाईस संयंत्र स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है । इस परियोजना को लागू करने के सभी बुनियादी कदम उठाए गए है तथा प्रमुख उपकरणों को खरीदने हेतु निविदाएं जारी कर दिए गए हैं । यह परियोजना निर्धारित 24 महिनों की अवधि में पूर्ण की जाएगी ।

विकास एवं अनुसंधानः
आपकी कंपनी ने वि.एवं अनु.पर निम्नलिखित कदम उठाए है :–

- भू–गर्भ खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने हेतु संशोधित छत सपोर्ट प्रणाली अपनाया गया ।
- तेज खनन गति के लिए उच्च स्तरीय अंतराल (वर्तमान 30 मीटर से 45 मीटर) का अवलंबन करना ।
- आधुनिक गवेषण तकनीकी – ग्रॉविटीक मैगनेटीक प्रणाली का उपयोग करके जीओ फिजिकल गवेषण
- अयस्क के विश्लेषण के लिए XRF एनालाईजर लागू करके उसके माध्यम से विश्लेषण कार्य का आटोमाईजेशन करना । इस प्रकार की दो मशीन डोंगरी तथा बालाघाट खान पर लगाई गई है । सही तथा शीघ्र विश्लेषण के कारण कंपनी अपनी गुणवत्ता आश्वासनों को बनाए रखने में सक्षम हुई , परिणाम स्वरूप ग्राहक संतोष के स्तर में सुधार हुआ ।
- गवेषणात्मक वेधन (ड्रिलिंग) के द्वारा नये भंडारों का गवेषण किया गया । इसके अलावा भू–गर्भीए गवेषण को बढाने के लिए नई मशीनें खरीदी गई है ताकि अधिक गहराई में नये भंडारों का पता लगाया जा सके ।
- सर्वेक्षण विभाग का कार्य परिशुद्ध सम्पादित होने के लिए हाय रिजालुशन स्केनर एवं प्रिंटर लगाया गया ।

उर्जा संवर्धन :

आपकी कंपनी ने पूर्णरूप से उर्जा क्षमता में सुधार लाने के साथ जहां कहीं भी संभ हो उर्जा का अपव्यय रोकने के लिए नई प्रौद्योगिकी लगाने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा उर्जा संवर्धन के पूंजीगत मद में नीजि आबंटित करने की नीति बनाई है ।

मॉयल उर्जा संवर्धन के लिए विभिन्न उपायों को अपना रही है जिसमें वर्तमान उपकरणों के क्षमता में परम्परागत उपायों द्वारा सुधार करने के साथ साथ राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण नीति के समकक्ष नई तकनीकी लागू करना शामिल है ।

भूगर्भ खदानों में जल पम्प द्वारा ईष्टतम उर्जा खपत होने के लिए पम्प का आकार के साथ साथ पम्पींग लेवल की डिझाईन की गई है । प्रोद्योगिकी मोर्चेपर पम्प एवं कांप्रेसर जिनका कई घण्टे लगातार उपयोग किया जाता है उन में परिवर्तनशील संचालन एवं संचार व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है , जिससे जब उपकरणों का कार्य समाप्त हो तो उसे तुरन्त बन्द किया जा सके ।

अपरम्परागत उर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए मॉयल ने मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले के रतेडी पर्वत माला पर 20 मेगावाट का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया ।

कम्पनी को लगातार 3 वर्षो से बालाघाट खान एवं चिखला खान के लिए क्रमशः वर्ष 2006, 2007 खनन क्षेत्र का राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा 2008 के लिए कान्द्री खान को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ । कंपनी को वर्ष 2007 के लिए एमईडीए (महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट कार्पोरेशन) की ओर से भी विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है । वर्ष 2009 के लिए खनन क्षेत्र में कम्पनी की कान्द्री खदान को राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

2008–09 की तुलना में 2009–10 में उर्जा बचत नीचे दिये अनुसार है :–

प्रति टन बचत (किलो वाट में)	2009-10	2008-09
मैंगनीज ओर	17.64	15.90
ईएमडी	2387	2300
फेरो मैंगनीज	2988	3016

सुरक्षा एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य :
आपकी कंपनी खदानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है तथा अत्याधुनिक खनन तकनीकी एवं खनन प्रचालन का यांत्रिकीकरण का समावेश के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों के मानकों में लगातार सुधार लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने का सतत प्रयास भी करती है ।

- मजदूरों को प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण देकर सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान करना।
- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा समिति की सभा खदानों पर नियमित तौर पर की जाती है जिसमें बारीकी से दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है ।
- दुर्घटनाओं के अधिक से अधिक रोकथाम के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ करीबी वार्तालाप किया जाता है।

आपकी कंपनी सुरक्षित एवं सुविधा जनक वातावरण निर्माण करने के साथ साथ उच्च श्रेणी की सुरक्षा मानक अपनाने की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जागृति निर्माण करने, सुधार करने तथा मूल्य मापन करने के लिए

प्रतिबद्ध है । कंपनी की भू–गर्भ खान बालाघाट तथा भू–तल खान डोंगरी बुजुर्ग को व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए ओ.एच.एस.ए.एस. 18001:2007 पुरस्कार मॉयल को प्रदान किया गया । आपकी कंपनी ने क्षेत्रिय सुरक्षा सप्ताह प्रतिस्पर्धा में भी भाग लिया तथा 60 से भी अधिक पुरस्कार बटोरे है । कंपनी का राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के लिए चयन हुआ तथा निम्नलिखित पुरस्कार को प्राप्त किए :–

- 'दीर्घतम दुर्घटना मुक्त कालावधि ' के लिए डोंगरी बुजुर्ग खदान को विजेता ट्राफी ।
- ' न्यूनतम चोट आवृत्ति दर' के लिए बेलडोंगरी खदान को उप विजेता ट्राफी । कंपनी को उसके उत्कृष्ट सुरक्षा रिकार्ड के लिए लगातार कई वर्षो से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिलते आ रहा है ।

माईन रिस्क्रू :

कंपनी के विभिन्न खदानों पर कार्यरत 32 युवा एवं उर्जावान कर्मचारियों के टीम के साथ बालाघाट खान पर एक रिस्क्रू स्टेशन स्थापित किया । प्रति वर्ष के समान इस वर्ष भी कंपनी ने अखिल भारतीय खान बचाव प्रतिस्पर्धा (कोयला तथा धातु) 2009 में हिस्सा लिया तथा निम्न पुरस्कार प्राप्त किये हैं :

(अ) पूर्णरूपेण विजेता (धातु)

(ब) रिकवरी ड्रिल विजेता (धातु)

पर्यावरण संरक्षणः

कंपनी अपने लीज की भूमि पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सजग है वर्ष 2009–10 के दौरान कंपनी की विभिन्न खानों में करीब 50000 पौधों का रोपण किया गया । अब तक कंपनी द्वारा करीब 16.61 लाख पौधों का रोपण किया । कंपनी ने जेटरोपा के पौधे सुखा/बंजर जमीन पर रोपण करने का काम हाथ में लिए है । बडे होने पर बायो डिझल के लिए बीज उपलब्ध होंगे ।

सतर्कताः

केन्द्र सरकार के आदेशानुसार पूर्णकालिक प्रमुख सतर्कता अधिकारी (भारतीय पुलिस सेवा से) कंपनी में प्रमुख सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है । अब तक कंपनी में पूर्णरूपेण सतर्कता विभाग नहीं था । कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों में से कोई प्रमुख सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सम्भालता रहा । डी.पी.ई. के दिशा निर्देशानुसार पूर्णरूपेण बहु–शाखाई विभाग स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है । एक बार पूर्णरूपेण विभाग अपना कार्य प्रारंभ कर देता है तो सतर्कता विभाग का सभी अनिवार्य कार्य जैसे निरोधात्मक एवं दण्डात्मक साथ ही अन्वेषणात्म कार्य अधिक क्षमता के साथ प्रारंभ कर दिए जाएंगे ।

सतर्कता विभाग के कार्य क्षेत्र में कंपनी के कार्पोरेटर कार्यालय नागपुर के साथ सभी स्थापनाएं /खान/संयंत्र/ उद्यम के लिए निरोधात्मक के साथ साथ दण्डात्मक कार्योका समावेश है । समीक्षा वर्ष के अंतर्गत सतर्कता विभाग द्वारा किए गए विभिन्न कार्योका विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :–

- इंटरनैशनल सर्टीफिकेशन सर्विसेस प्रा. लि. मुम्बई की ओर से अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है जो प्रमाणित करता है कि सतर्कता विभाग के विभिन्न कार्योकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आई.एस.ओ. 9001:2008 के मानकों के अनुकूल है ।

- प्रचालन के विभिन्न स्तरों के काम में काम की प्रक्रिया को कारगर बनाने एवं उसमें पादर्शिता लाने हेतु समय समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए गए ।

अधिकतम पारदर्शिता लाने हेतु सभी खुली निविदा की निविदा पूछताछ को वेबसाईट में अपलोड किया गया । 30 लाख से प्रारंभ हुई उससे अधिक समाप्त हुए निविदा को भी मंत्रालय द्वारा मुहैय्या किए गए प्रपत्र में वेब– साईट में अपलोड किया गया है । अधिक संविदाएं /कार्य को इंटीग्रेटी पॅक्ट के अधीन लाने हेतु इंटीग्रेटी पॅक्ट का प्रारंभिक मूल्य 15 करोड से 10 करोड कर दिया गया है ।

मॉयल द्वारा संचार के साधन के रूप में स्टेक होल्डर के साथ वेबसाईट का व्यापक उपयोग तथा भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए एवं पारदर्शिता लाने हेतु अधिकतम संभावित कार्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है ।

तद्नुसार कंपनी द्वारा नीचे दर्शाए गए कदम उठाए गए :–

ई–विक्री फेरो मैंगनीज , फेरो मैंगनीज स्लॅक के लिए लागू की गई है । डोंगरी बुजुर्ग खान से प्राप्त ऑक्साईड एवं डाय–ऑक्साईड अयस्क भी ई–निलामी में शामिल किया गया है । वर्ष 2009–10 के दौरान 13 बार ई–विक्री की गई ।

ई–खरीदी मॉयल ने 1 करोड रुपये प्रारंभिक मूल्य एवं उससे ज्यादा ई–खरीदी द्वारा किया जाना तय किया है । मॉयल ने एचएसडी ल्यूबरीकंट , विस्फोटक (रिवर्स ऑक्सन) , कोक एवं कोयला की पहचान ई–खरीदी के लिए किया है जिसकी खरीदी वार्षिक खरीदी का 76% है ।

ई–भुगतान कंपनी की इकाई/खान सुदूर स्थानों पर स्थित है और नजदीकी बैंकों में ई–बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है अतः सभी भुगतान ई–भुगतान के द्वारा नहीं किया जाता है किन्तु नीधि का अन्तर इकाई स्थानांतरण आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है । कंपनी जहां कहीं भी संभव हो ठेकेदारों के बिल नागपुर से ई–भुगतान द्वारा करती है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही की कोई घटना नहीं पाई गई ।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन :

हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आगमन के साथ आपकी कम्पनी ने सू.अ.अ.2005 को लागू करने के लिए पूरी गंभीरता से प्रमुख कदम उठाए ।

मॉयल ने अपने निगमित कार्यालय में प्रमुख जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा अपने खदान इकाईयों पर भी जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किया है । निदेशक (उत्पादन एवं योजना) को अधिनियम के

अंतर्गत ''अपीलीय प्राधिकारी'' को नियुक्त /पदनामित किया है । सभी जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in. में दर्शाया गया है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(बी) में निर्धारित के अनुसार कंपनी उसके कर्मचारी के संबंध में जानकारी 17 शीर्षकों में तैयार की गई है तथा उसे कंपनी के पोर्टल में डाला गया है । मॉयल आवश्यक जानकारी एवं रिर्टनस् निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करती है तथा नियमित तौर पर उसे अद्यतन करती रहती है ।

अधिनियम का उद्देश्य एवं सही भावना के बारे में कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए भारी जागरूकता पैदा की गई है । अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को परिपत्र जारी करके ध्यान में लाया गया तथा उन्हें अपने रोजमर्रा के कार्य पारदर्शिता लाने के लिए कहा गया है तथा सभी रिकार्ड को सही एवं सुचारू रूप से रखने के लिए कहा गया है । आगे , जनता के लिए, कंपनी ने अपने वेबसाईट में नियमित अन्तराल के पश्चात स्वमेव अधिक से अधिक जानकारी डाला /अद्यतन भी करती है ,ताकि जनता को सूचना के अधिकार के अधीन जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का कम से कम अपयोग करना पडेगा।

कर्मचारियों में भारी संख्या में जागरुकता पैदा करने के लिए ,वर्तमान परिप्रेक्ष में सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के खास–खास प्रावधान समझने हेतु ,संगोष्ठियों का आयोजन किया गया ।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 45 आवेदन प्राप्त हुए तथा वर्ष के दौरान सभी पर कार्यवाही की गई ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम :

कंपनी ने पिछले वर्ष 2008–09 में 370 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में वर्ष 2009–10 के दौरान 378 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें खान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में कामगारों के लिए कए गए 285 व्यावसायिक प्रशिक्षणों का समावेश है । करीब करीब सभी कार्यपालक , 1500 गैर कार्यपालक एवं 4110 कामगारों के साथ 2197 व्यावसायिक/ट्रेड प्रशिक्षु पीडीपीटी को वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया गया । अतः अन्तर कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाह्य कार्यक्रम , मनसर तकनीकी कार्यक्रम , व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अप्रेन्टीस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विषयों पर , परीवीक्षाधीन वर्ष के दौरान 111536 मानव दिवस प्रशिक्षण दिया गया ।

श्रमिक कल्याण योजनाएं, मनोरंजन एवं चिकित्सा सुविधाएं :

आपकी कंपनी ने कई कल्याण योजनाएं शुरू किया है जो इस प्रकार है :–

- बहुसंख्यक कर्मचारियों को खदानों पर निवासी क्वार्टर प्रदान किए गए है । जीवन मांन के स्तर में सुधार लाने हेतु तथा कर्मचारियों की आंकाक्षाओं को ध्यान में रखकर कंपनी ने नये एवं आधुनिक निवासी क्वार्टर अपने विभिन्न खदानों पर निर्माण किए थे तथा कर्मचारियों को उसे आबंटित कर दिया गया ।
- कंपनी ,खदानों के कॉलोनी में निवास करने वाले कर्मचारियों को परम्परागत कुएं बोरवेल ,नल जल पूर्ति इत्यादि के माध्यमों से पर्याप्त जल पूर्ति भी कर रही है तथा कुएं एवं टंकियों की समय समय पर शुद्धीकरण करती रहती है ।
- कॉलोनी एवं रास्तों में उत्तम प्रकाश व्यवस्था की गई है तथा कर्मचारियों को उनके निवास में विद्युत पूर्ति रियायती दर से की जाती है ।
- कंपनी ने अपनी खानों पर चिकित्सालय बनाया है जहां योग्यता प्राप्त चिकित्सक है तथा उनकी मदत के लिए प्रशिक्षित पॅरा–मेडीकल कर्मचारी है । पुरूष तथा महिलाओं के लिए अलग अलग बाह्य रोगी विभाग तथा आंतररोगी वार्ड है । आपात स्थिति के लिए सभी चिकित्सालय के लिए अम्बुंलेंस मुहैय्या कराई गई है । आवश्यकतानुसार रोगियों को ईलाज के लिए विशेषज्ञतापूर्ण अस्पतालों में भेजा जाता है ।
- आपकी कंपनी अपने कुछ खानों में पाठशाला चलाने हेतु सहायता प्रदान करती है जहां कर्मचारियों के बच्चों को मुक्त शक्षा प्रदान की जाती है । सभी खानों पर स्कुल बस की सुविधा प्रदान की गई है ताकि कर्मचारी के बच्चें निकटवर्ती हायस्कुल एवं कालेज में शिक्षा ग्रहण करने हेतु जा सके ।
- कंपनी की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की योजना है । कंपनी ने कर्मचारियों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू कर रखी है । श्रमिकों के बच्चों को अभियांत्रिकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना भी लागू कर रखी है ।
- कंपनी ने अपने सभी खदानों पर संगीत उपकरण ,टेलीविजन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए लगने वाली सामग्री खेल–कूद के सामान आदि प्रदान कर खेल–कूल एवं मनोरंजन की गतिविधियों के लिए एक संरचना बना रखी है । युवकों में खेल–कूद भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, खान क्षेत्र में खेल–कूद के आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

अनुसूचित जाती/जनजाती के लिए कल्याणकारी कदम :

आपकी कंपनी एक श्रमिक बहुल संस्थान है जिसमें 31.3.2010 को रोल पर 6734 कर्मचारी कार्यरत है । जसमें से लगभग 72.73% अनु. जाती/ जनजाती/अन्य पिछडी जाती से है उसमें से अनु.जा./ज.जा. का प्रतिशत 44% है। कंपनी खान क्षेत्र के समीपस्थ अलग –थलग दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले अत्याधिक पिछडे लोगों के विकास में भी गहरी रूची लेती है जिसका विवरण नीचे दर्शाएअनुसार है :–

- खानों के करीब बसे गांवों को गोद लिया है तथा उन गावों में बसने वाले लोगों को पेय जल सुविधा, रस्तों का रखरखाव समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षा एवं ईलाज करना ।
- खदान क्षेत्र से जुडे हुए पाठशालाओं को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, किताबें आदि मुहैय्या करना है ।
- महिलाओं के विकास एवं स्वःरोजगार हेतु सिलाई मशीन प्रदान करना है ।
- स्वःरोजगार के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करना ।
- शारीरिक रूप से अंपग लोगों को स्वालम्बी बनने के लिए त्रिपहीया साईकिल प्रदान की गई ।
- आदिवासी महिलाओं के विकास एवं उनका जीवन स्तर उंचा उठाने के लिए अन्य कल्याणकारी कदम जैसे सिलाई क्लासेस, प्रौढ शिक्षा वर्ग , एड्स जागृति कार्यक्रम , पोस्टर , नोटिस एवं बॅनर लगाकर अन्य कार्यक्रमों का प्रचार, महारोग जागृति कार्यक्रम आदि करना ।
- अप्रेन्टीस अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक रूप से अंपग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

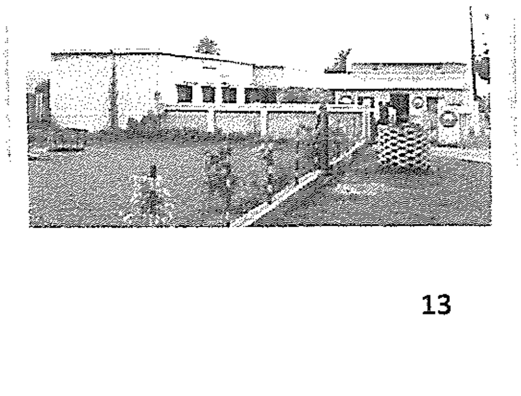

वेतन संशोधन:

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक (70)/08-उज्ञ्ग्ए(थउ) दिनांक 26.11.2008 तथा 2-4-2009 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यपालकों का नया वेतन संशोधन 1.1.2007 से लागू कर दिया है । प्रबंधन तथा मान्यता प्राप्त यूनियन मॉयल कामगार संगठन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार नया वेतन समझौत लागू कर दिया गया है ।

कार्मिक :

31.3.2010 को आपकी कंपनी के पास मानव बल की स्थिति नीचे दिये अनुसार है

श्रेणी	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	पीसरेट कामगार	कुल Total
पुरूष	303	2312	3313	5928
स्त्री	13	158	635	806
कुल	**316**	**2470**	**3948**	**6734**

१.३.२०१० को वर्गानुसार शक्ति इस प्रकार थी :-

समूह	अनु.जाति	अनु.जनजाति	ओ.बी.सी.	अन्य	कुल
अ	35	8	43	149	235
ब	25	4	42	99	170
क	350	233	394	608	1585
ड	857	1394	1457	980	4688
सफाई कामगार	56	-	-	-	56
कुल	**1323**	**1639**	**1936**	**1836**	**6734**
% कुल	18.97	24.54	28.99	27.49	100

कंपनी , पूरे संभावित तौर पर , अपंग व्यक्ति (समान संधी, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 अनुपालन पर भी जोर देती है ।

शिकायत निवारण यंत्रणा :

- कर्मचारियों की शिकायत - मॉयल के पास कार्यपालक साथ साथ ही गैर कार्यपालकों के लिए उसकी स्वयं की शिकायत निवारण कार्य प्रणाली है । कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण नियमानुसार किया जाता है ।
- मॉयल की शिकायत निवारण यंत्रणा में प्रत्येक इकाई में एक मनोनीत शिकायत अधिकारी होता है । इकाईयों में इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए मुख्यालय का मनोनीत अधिकारी इकाईयों के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय करता है ।
- जन शिकायत - जनता से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करने के तरीके से सभी शिकायत अधिकारी को परिचित कराया गया । जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया , इसके पूर्व विभिन्न प्राधिकारियों के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर बनाई गई है ।
- जन शिकायत निवारण यंत्रणा का परीवीक्षण समय समय पर कंपनी द्वारा किया जाता है ।
- उसी प्रकार इकाई / खदान के संबंधित शिकायत अधिकारी के द्वारा प्राप्त मासिक रिपोर्ट तथा मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के द्वारा प्राप्त डाटा आधिरित मूल्यांकन के आधार पर इकाई / खदान का परीवीक्षण किया जाता है ।

सामाजिक निगमित जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) :

मॉयल एक अच्छे निगमित नागरीक की तरह नि.सा.उ. के कार्य धर्मनिष्ठ तौर पर निभा रही है । कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्य को हाथ में लिया गया है :-

- नागपुर में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने हेतु 40 लाख रूपये जारी किए गए ।
- दो एम्बुलेंस दान किया गया - 1 एम्बुलेंस मेडीकल अशोसिएशन चन्द्रपुर को तथा 1 गर्वनमेंट हैल्थ युनिट , सावनेर , जिला नागपुर को दिया गया । दोनों एम्बुलेंश का उपयोग उन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा जहां एम्बुलेंश की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ।
- 500 मुफ्त मोतियां बिन्द शस्त्र क्रिया एवं 1000 बच्चे का नेत्र परीक्षा के साथ जहां कहीं भी आवश्यक हो चस्मे का वितरण किया गया है ।
- नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मोनि (भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था) को 10 लाख का अनुदान ।
- नागपुर जिले के सावनेर स्थित मुक बधीर निवासी शाला में मुक बधीर बच्चों के लिए आधुनिक आडीयोमेट्रीक का निर्माण ।
- सरस्वती विद्यालय नागपुर में क्लास रूम का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता
- निसर्ग विज्ञान मण्डल के मार्फत एस.एच.जी. के लिए जैविंक एवं नैसर्गित साधन उत्पाद के निकासी के लिए खोली बनाने हेतु वित्तीय सहायता ।
- इसके अलावा कंपनी के द्वारा गोद लिए गए गावों में तथा कंपनी के खदानों के निकटवर्ती गावों में भी नि.सा.उ. के अंतर्गत कई योजनाएं जैसे रस्तों का निर्माण दाह- संस्कार शेड , पाठशाला का नवीनीकरण , अतिरिक्त कक्षा खोली का निर्माण , मल निकासी ,जलपूर्ति सुविधा आदि का कार्य कर रही है ।

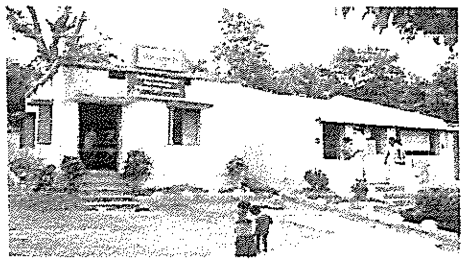

हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग :

वर्ष के दौरान कंपनी, कार्यालयीन भाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों को प्रचारित करने एवं लागू करने का लगातार प्रयास करती रही । कंपनी अपनी गृह पत्रिका ङ्गसंकल्प ङ्ग हिंदी' प्रकाशित कर रही है ताकि कर्मचारी हिंदी के प्रचार हेतु विविध प्रतियोगिताए जैसे निबंध, टिप्पणी, आलेखन, कविता में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित हो ।

खानों में 97% कार्य हिंदी में किया जा रहा है । कंपनी के संगणकों में युनिकोड सिस्टम डाला गया है । हिंदी शाप्ट वेअर का संगणक में प्रावधान किया गया है तथा कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे इसका अपने कार्य में अधिक से अधिक उपयोग कर सके ।

कंपनी को पिछले दो वर्षोसे हिन्दी में अच्छा काम करने के लिए '' इस्पात राजभाषा ट्राफी '' से पुरस्कृत किया गया । गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के तहत कर्मचारियों को पुर्नप्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें प्राज्ञ पुर्नप्रशिक्षण हेतु 85 प्रशिक्षुओं को दिया जा चुका है एवं 40 कर्मचारी/अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी जारी है ।

'' नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति '' नागपुर के द्वारा भी हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मॉयल को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है तथा मॉयल की गृह पत्रिका ''संकल्प'' को भी राजभाषा संस्थान नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया ।

पुरस्कार एवं उपाधियां :

आपकी कंपनी की देश की उन चुनीदा कंपनियों में बनाना होती है जिनका लगातार उत्कृष्ट कार्य निष्पादन रहा है । आपकी कंपनी को अपने अच्छे कामों के लिए करीब करीब सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय /क्षेत्रीय पहचान प्राप्त होते आ रहा है । यह उन सार्वजनिक उपक्रमों में एक है जो सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है और लगातार कई वर्षोसे उत्कृष्टता की श्रेणी प्राप्त होती आ रही है । कंपनी को प्राप्त कुछ मान्यताओं का विवरण नीचे दर्शाएअनुसार है :-

- महामहीम उप राष्ट्रपति, भारत सरकार के द्वारा दिये गये राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

खान	वर्ग
डोंगरी बुजुर्ग खान	वर्ष 2007 के लिए दीर्घ दुर्घटना मुक्त कालावधि
बेलडोंगरी खान	वर्ष 2007 के लिए न्यूनतम चोट आवृत्ति दर

- भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वर्ष 2007 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार
- वर्ष 2009के लिए खनन क्षेत्र में कान्द्री खान को राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन पुरस्कार -द्वितीय
- राष्ट्रीय क्वालिटी सर्कल पुरस्कार 2009 - एन.सी.क्यू.सी.- 2009 में डोंगरी बुजुर्ग खान की पंचरत्न क्वालिटी सर्कल ने समान उत्कृष्टता पुरस्कार एवं तिरोडी खान की परख क्वालिटी सर्कल में उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया ।

निदेशक :

परीवीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री एस.के.बॅनर्जी , स्वंतत्र निदेशक का कार्यकाल दिनांक 28 जून 2009 को समाप्त होने से उनकी सेवा निवृत्ति के अलावा कंपनी के निदेशक मण्डल में अन्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1)(G) के अंतर्गत कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी योग्यता के अधीन नहीं हुआ ।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी कथनः

कंपनी (संशोधित) विधि 2000 की धारा 217 (2 ए ए) के प्रावधानों का पालन करते हुए यहां पर यह व्यक्त किया जाता है कि :-

⁂ वार्षिक खातों को तैयार करते समय, सामग्री विभाग संबंधी उचित ब्यौरा के साथ लेखांकन के निर्धारित मानको

को अपनाया गया ।

⁂ निदेशकों ने उन लेखांकन नीतियों को चुना एवं उन्हें दृढतापूर्वक अपनाया तथा उसके आधार पर निर्णय लिये एवं अनुमान लगाया जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी की स्थिति और उस अवधि के दौरान लाभ हानि की स्पष्ट एवं सही तस्वीर पेश करने में सक्षम थी ।

⁂ निदेशकों ने इस विधि के प्रावधानों के अनुसार लेखाकंन संबंधी पर्याप्त अभिलेखों को जुटाने एवं उन्हें व्यवस्थित करने में सम्पत्ति सुरक्षित रहे एवं धोखाधडी या अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके ।

⁂ निदेशकों ने वार्षिक खाते चालू संबंधों के आधार पर तैयार किए ।

जमा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी सावधी जमा स्वीकार नहीं किए हें ।

अंकेक्षकः

मे. शाह बहेती चांडक एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट नागपुर को भारतीय महा लेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट वर्ष के लिए कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया है।

अन्य प्रकटीकरण

प्रोद्यौगिकी आत्मसात आदि का ब्यौरा :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1)(ए) के अंतर्गत एवं कंपनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के विवरण का प्रकटीकरण) का अनुशीलन के अनुसार अनुसंधान एवं प्रोद्यौगिकी आत्मसात का ब्योरा इस रिपोर्ट का एक भाग है जो अनुलग्नक ख में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है ।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान मैंगनीज अयस्क का निर्यात नहीं किया है । परीवीक्षाधीन वर्ष के दौरान यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा 7 लाख रूपये खर्च की गई जबकि पिछले वर्ष 6.47 लाख रूपये था । यह खर्च केवल विदेश यात्रा के लिए किया गया है तथा वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में अन्य कोई खर्च नहीं हुआ ।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 समय समय पर संशोधन होने वाले के साथ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 ए) के अंतर्गत विवरण निम्नानुसार है :-

अ) जो कर्मचारी उपरोक्त सम्पूर्ण वर्ष में नियुक्त थे तथा उक्त वर्ष में जिनका कुल वेतन भुगतान 24 लाख से कम नहीं था ।

नाम तथा अर्हता योग्यता	आयु (वर्ष)	पदनाम एवं कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक कुल (रुपये)	अनुभव(वर्ष)	नियुक्ति की तिथि	पिछली नियुक्ति - ment	कंपनी में शेअर
श्री एस.ए.व्ही.गौतम (बी.एससी,एलएलबी,नियुक्ति कम , आईसीडब्ल्यूए)	58	निदेशक (वित्त) तथा संविदा	24,57,437.58 *	30 वर्ष	28/12/2001	ल्युब्रिझाल इंडिया लि	एक ** (1 शेअर सन)

⁂ पारिश्रमिक में पिछले वर्ष का रूपये 673802.55 शामिल है ।

⁂⁂ भारत सरकार के नामित के तौर पर शेअर धारक

ब) वह कर्मचारी जो उपरोक्त वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त किए गए तथा जिनका उस वर्ष के किसी भाग के लिए प्रतिमाह 2 लाख रूपये से कम की दर से पारिश्रमिक का कुल योग कम नहीं था -शून्य

नियंत्रित कम्पनी - आपकी कंपनी की कोई नियंत्रित कम्पनी नहीं है ।

निगमित अभिशासन :

कंपनी उच्च कोटी के निगमित शासन के लिए सतत प्रयासरत रहती है । अतःअलग से निगमित अभिशासन पर सेक्शन जोडा गया है तथा अनुलग्नक खख निदेशक रिपोर्ट का हिस्सा है ।

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण :

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक खखखख में प्रस्तुत की गई है ।

औद्योगिक संबंध :

समिक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं शांतिप्रिय रहे । कंपनी में इस दौरान कोई भी काम बंद या श्रम आंदोलन की घटना नहीं हुई । अच्छे उत्पादन तथा उत्पादकता की भावना बनी रही । संस्थान का कार्य सुचारू रूप से चलने तथा तक्रार निवारण के लिए उपयुक्त निर्णय लेने हेतु खदानों तथा निगमित स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जो संतोष जनक रीति से कार्य कर रही है ।

आभार ज्ञापनः

आपके निदेशक स्वीकार करते है कि उन्हें भारत सरकार ,महाराष्ट्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारों, कम्पनी के बैंकर्स तथा ग्राहकों से भरपुर सहयोग एवं मदद प्राप्त हुई ।

कर्मचारियों की ओर से लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पूरे उत्तरदायित्व के साथ कार्य किया जा रहा है । आपके निदेशक इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करते है एवं आशा

करते है कि आने वाले वर्षोमें भी वे इसी उत्साह एवं समर्पण की भावना से काम करेंगे ताकि कंपनी को और अधिक

उंचाई पर ले जा सके ।

आपके निदेशक अंशधारकों के विश्वास एवं कंपनी के उद्यम में सहयोग के लिए आभारी है ।

स्थानःनई दिल्ली
दिनांक : 21.5.2010

निदेशक मंडल की ओर से
सही/-
के. जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

अंशधारको के लिए निदेशकों की रिपोर्ट – अनुलग्नक i

प्रारूप –बी

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (I) (ई) के अंतर्गत एवं 1988 में किए गए संशोधनों के अंतर्गत अपेक्षित आत्मसात की गइ प्रौद्योगिकी ब्यौरा प्रकट करने से संबंधित विवरणी :–

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी):		
अनु. क्र.	विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहां कम्पनी ने आर. एण्ड डी का कार्य हाथ में लिया है	आर.एण्ड डी के फलस्वरूप प्राप्त लाभ
1	सुरक्षा मानकों में सुधार	वर्तमान स्टोप बॅग सपोर्ट प्रणाली के अलावा यांत्रिक टेक लगाया गया है जिससे अच्छे एवं सुरक्षित खनन वातावरण का निर्माण हुआ है ।
2	बालाघाट खान पर लेवल अंतराल 30 मीटर से 45 मीटर बढाने बाबत ।	बालाघाट खान में 12 लेवल के नीचे वर्टीकल लेवल अंतराल 30 मीटर से 45 मीटर बढाने हेतु सलाह के लिए मेसर्स सीआयएमएफआर को व्यवहारिक रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया था तथा तद्नुसार 13½ L & 15 L का नये लेवल का कार्य किया जाएगा ।
3	भूभौतिकीय गुरूत्व चुम्बकीय प्रणाली द्वारा गवेषण।	वर्तमान में स्थित दबे हुए मैंगनीज अयस्क के भंडार को संभावित खनिजीकरण के लिए भूभौतिकीय गुरूत्व चुम्बकीय प्रणाली द्वारा गवेषण का उपयोग किया जा रहा है । यदि अध्ययन सफल होता है तो तिरोडी खान पर एक बडे भंडार का पता लगना संभावित है ।
4	XRF विश्लेषक का उपयोग	परिष्कृत उत्पाद के नमूने का शीघ्रताशीघ्र विश्लेषण करने हेतु कंपनी ने नागपुर, डोंगरी बुजुर्ग तथा बालाघाट खान पर सफलता पूर्वक तीन दठ्क्र विश्लेषक मशीन लगाए । इससे अयस्क के घटकों का सच्चा विश्लेषण होगा तथा ग्राहकों की शिकायतों में कमी आएगी ।
5	अयस्क भंडार का गवेषण	यह एक लगातार प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी की स्वयं की वेधन –मशीनों द्वारा अयस्क पिंड तथा कंपनी के पट्टा क्षेत्रों के आसपास अतिरिक्त अयस्क भंडार का पता लगाया जाता है । वर्ष 2009–10 के दौरान इस प्रक्रिया के द्वारा हम अतिरिक्त 0.9 मिलियन टन अयस्क भंडार का पता लगाने में सफल हुए ।

(II)	प्रौद्योगिकी समावेशन, स्वीकार एवं नव परिवर्तन (इनोवेशन) :	
	संक्षिप्त में प्रौद्योगिकी समावेशन, स्वीकार एवं नई रितियों के लिए प्रयास ।	उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ ।
	1) उपरोक्तानुसार खनन में अनु.एवं वि.प्रयास 2) वेरीयेबल फ्रिकवेन्शी ड्राईव (VFD) काम्प्रेशर	1) उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पादन में सुधार, लागत में कमी एवं सुरक्षित कम का वातावरण, विशेषतः भू–गर्भ गहराई में वृद्धि एवं जीयोग्राफिकल संभावना के कारण नये खनिज क्षेत्र का पता लगाना । 2) वीएफडी काम्प्रेशर के उपयोग के कारण उर्जा खपत में 10–12% की कमी की आशा की जाती है ।
(III)	भविष्य की कार्यविधि	एलईडी कॅप लैम्प एवं सौर उर्जा का भविष्य में उपयोग करना प्रस्तावित है ।
(IV)	आर एण्ड डी पर व्यय	(रूपये करोड में) पूंजीगत (अ) — 0 आवर्ती (ब) — 2.88 कुल (क) — 2.88 कुल आर एण्ड डी व्यय कुल टर्न ओवर के प्रतिशतनुसार — 0.30

पिछले पांच वर्षोके आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गिनती करते हुए	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूपेण समावेशे किया गया	यदि पूर्ण रूप से समावेश नहीं किया गया तो वह क्षेत्र जहां नहीं हुआ एवं कारण तथा उसके लिए भविष्य की कार्य योजना
अ	ब	क	ड
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अंशधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट – अनुलग्नक-II

निगमित शासन रिपोर्ट

मॉयल सक्षम , जवाबदार , ईमानदार तथा नैतिक तरीके से व्यापार करने के लिए वचनबद्ध है । उत्तम निगमित शासन के पालन की कोई सीमा नहीं है तथा इसकेउत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण कंपनी को व्याप्त करती है । यह उत्तर दायित्व, निदेशक मंडल से प्रारंभ होता है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों , विशेषकर अंशधारक, कर्मचारी तथा हमारे ग्राहकों , सभी के दीर्घ कालिन लाभ के लिए कंपनी की रणनीतिक तथा प्रचालनिक उत्कृष्टता पर संतुलित तौर पर ध्यान केन्द्रीत करके अपना निगमित शासन का उत्तरदायित्व निभाना है ।

कंपनी की शासन प्रणाली के सार-तत्व में स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा ,जवाबदेही , पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा खुलापन शामिल है । व्यापार नीति का आधार नैतिक आचरण , स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं दीर्घकालिन स्थाई संबंधों को बनाना शामिल है ।

मॉयल लगातार उचित उत्कृष्ट निगमित शासन को विकसित कर रही और अपना रही है ।

1. निदेशक मंडलः

1.1 31 मार्च 2010 को निदेशक मंडल की संरचना :

1.	अ.स.प्र.नि. सहित कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक)	4
2.	गैर कार्यपालकसरकारी निदेशक	3
3.	गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यालयीन) -	3
	कुलः	10

मॉयल के आर्टीकल आफ असोसिएशन के अनुसार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं । कंपनी के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक के परामर्श से राष्ट्रपति समय समय पर मॉयल के मंडल में एक या उससे अधिक पूर्णकालिक निदेशक एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति भी कर सकते है । मॉयल के मंडल में अंशकालिन गैर कार्यालयीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं । स्वतंत्र निदेशकों का चयन प्रबंधन , वित्त, अभियांत्रिकी, प्रशासन तथा उद्योग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव संपन्न व्यक्तियों की पैनल में से किया जाता है ।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशानुसार मण्डल सदस्य के एक तिहाई से कम स्वतंत्र निदेशक नहीं होना चाहिए । यद्यपि कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के परिणाम स्वरूप दिनांक 31 मार्च 2010 को 4 निदेशकों की जगह केवल 3 स्वतंत्र निदेशक ही है । कंपनी ने इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात इस्पात मंत्रालय के समक्ष रखा है ।

1.2 मंडल सभा :

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान मंडल की 4 सभाएं हुई दिनांक 27 मई 2009, 28 अगस्त 2009, 29 दिसम्बर 2009 और 12 मार्च 2010 को ली गई ।

1.3 मंडल की कार्यसूची एवं सामग्रीः

मंडल की सभा , कोई आकस्मिक कारण न होने पर , सामान्यतः निर्धारित समय पूर्व सम्पन्न कर ली जाती है । अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के साथ सलाह करके कंपनी सचिव लिखित में प्रत्येक निदेशक को सभा की सूचना भेजते हैं । मंडल की कार्यसूची, विस्तृत पार्श्वभूमि की जानकारियों के साथ निदेशकों को अग्रिम परिचालित की जाती है ताकि वे निर्णय ले सके । मंडल के सदस्यों कंपनी की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा चर्चा हेतु कार्य सूची में कोई भी मामला शामिल करने की सिफारिश कर सकते है ।आवश्यक हो तो , विचाराधीन मामले से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां मुहैया कराने तथा /अथवा मंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों को आमंत्रित किया जाता है । प्रत्येक तिमाही में कम से कम मंडल की एक सभा होती है । फिर भी आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त सभा आयोजित की जाती है । अति आवश्यकता के समय प्रस्तावों को परिचालित करके भी स्वीकृत किया जाता है ।

1.4 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2010 तथा पिछली वार्षिक सर्व साधारण सभा के अवधि में निदेशकों का मंडल सभा में उपस्थिति सहित विवरण:–

निदेशकों का नाम	अवधि	बोर्ड मीटिंग की संख्या	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति की की संख्या	28.8.09 को हुई पिछली वा. स.स.	31.3.10 को अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	कंपनी में अंशधारण की संख्या
I. कार्यकारी निदेशक :						
1. श्री के.जे.सिंह, अ.स.प्र.नि.	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	हा	शुन्य	1*
2. श्री एम.ए.वी.गौतम, निदेशक(वित्त)	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	हा	2	1*
3. श्री ए.के.मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	हा	2	1*
4. श्री जी.पी.कुंदरगी ,, निदेशक (उ. एवं यो.)	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	हा	2	1*
II. सरकारी निदेशक :						
1. डॉ.दलिप सिंह	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	हा	8	1*
2. श्री ए.एम.खान	1/4/2009 to 31/3/2010	04	शुन्य	—	4	शुन्य
3. श्री एस.के.मिश्रा	1/4/2009 to 31/3/2010	04	शुन्य	—	13	शुन्य
III. स्वतंत्र निदेशक :						
1. श्री एस.के.बैनर्जी	1/4/2009 to 28/6/2009	01	01	—	शुन्य	शुन्य
2. डॉ.डी.डी.कौशिक	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	हा	1	शुन्य
3. श्री ए.बलराज	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	—	शुन्य	शुन्य
4. डा.एम.महाराजन	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04	—	शुन्य	शुन्य

*भारत सरकार के नामित के तौर पर शेअर धारक

चूंकि मॉयल, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है अतः कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है । सरकार द्वारा नामित निदेशकों को मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है । गैर कार्यालयीन स्वतंत्र निदेशकों को, कंपनी अधिनियम , 1956 के प्रावधानानुसार मंडल समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तथा मंडल /मंडल समिति में भाग लेने का वास्तविक खर्चेकी प्रतिपूर्ति की जाती है । वर्तमान में बैठक में उपस्थित होने के लिए कंपनी प्रति मिटिंग रूपये 7500 का भुगतान कर रही है ।

२) समितियाँ :

निदेशक मंडल की समितियों का गठन:

भारत सरकार द्वारा कंपनी को 'मिनी रत्न' श्रेणी ख का दर्जा प्रदान किया गया । बडी हुई वित्तीय एवं प्रचालन स्वायत्ता का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी के लिए निदेशक मंडल का पुनर्गठन एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा चार अंश कालीन गैर सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया गया था । सार्वजनिक उपक्रम विभाग के निदेशों के अनुकूल कंपनी का अंकेक्षण तथा कार्य निष्पादन का मॉनीटरींग करने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :-

I. मंडल की अंकेक्षण समिति

अकेंक्षण समिति का प्राथमिक कार्य , वित्तीय रिपोर्ट का समीक्षा के द्वारा प्रमादों को ठीक करके निदेशक मण्डल को सहायता करना ; कंपनी की वित्तीय संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रबंधन एवं मण्डल द्वारा स्थापित लेखा एवं कानून का अनुपालन ; तथा सामान्यतः कंपनी की अंकेक्षण, लेखा एवं वित्तीय रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण । अंकेक्षण समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का पुर्नपरीक्षण करती है सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेती है तथा उनके द्वारा पाये गये निष्कर्षोपर विचार विमर्श करती है , कंपनी द्वारापालन किये जा रहे मुख्य लेखा नीति का पुर्नविक्षण एवं अन्य संबंधित मामलों पर सुझाव लेती है । अंकेक्षण समितिप्रबंधन वित्तीय विवरण की समीक्षा करती है ।

समिति की संदर्भित शर्तेकंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए तथा निगमित अधिशासन पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशानुसार में दर्शाई गई है ।

मॉयल की अंकेक्षण समिति में 4 सदस्य है जिसमें से 3 गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक तथा एक कार्यपालक निदेशक है ।

श्री ए.बलराज , समिति अध्यक्ष डॉ. डी.डी.कौशिक, डा. एम. महाराजन एवं श्री जी.पी.कुदरगी समिति के सदस्य है । कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है । निदेशक (वित्त) निगमित आंतरिक अंकेक्षण के प्रमुख एवं सांविधिक अंकेक्षकों को भी अंकेक्षण समिति के बैठक में आमंत्रित किया जाता है ।

वर्ष 2009-10 में दिनांक 27 मई 2009 , 28 अगस्त 2009 , 29 दिसम्बर 2009 तथा 1 मार्च 2010 को अंकेक्षण समिति की कुल चार सभाएं सम्पन्न हुई :-

निदेशकों का नाम	अवधि	बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1. श्री एस.के.बैनर्जी	1/4/2009 to 28/6/2009	01	01
2. श्री ए.बलराज	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04
3. डॉ.डी.डी.कौशिक	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04
4. डॉ.एम.महाराजन	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04
5. श्री जी.पी.कुंदरगी	1/4/2009 to 31/3/2010	04	04

II.पारिश्रमिक समिति :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अधीन मॉयल एक सरकारी कम्पनी है । अतः निदेशकों पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है । अन्य कर्मचारियों का भी वेतनमान सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निदेशों के अनुसार तय किया जाता है । सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशक पत्र दिनांक 26-11-2008 एवं 2-4-2009 के अनुसार कार्यपालकों के पररफामन्श रिलेटेड पे (पीआरपी) के लिए मॉयल ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के नेतृत्व में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है । वर्तमान में समिति में डा. एम.महाराजन समिति अध्यक्ष , श्री एम.ए.वी. गौतम तथा श्री ए.के.मेहरा समिति सदस्य है । कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है ।

III. निगमित अधिशासन समिति :

कंपनी उच्च कोटी के निगमित अधिशासन के लिए सतत प्रयास रहती है तथा उसके सही अनुपालन के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के निगमित अधिशासन के लिए समिति का गठन मण्डल द्वारा किया गया है । वर्तमान में कमेटी में डा.एम.महाराजन, समिति अध्यक्ष डा.डी.डी.कौशिक एवं श्री एम.ए.वी.गौतम समिति के सदस्य है । कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है ।

उपरोक्त के अलावा आपकी कंपनी में परियोजन समिति भी है जिसके कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक मुखिया है । कंपनी द्वारा समय समय पर हाथ में लिए गए विभिन्न परियोजनाओं का समीक्षा करती है ।

3. वर्ष 2009-10 के दौरान वर्तमान कार्यकारी निदेशकों के द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक :

निदेशकों का नाम	पाश्रिमिक ※ रूपये
1. श्री के.जे.सिंह, अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक	15,29,846.00
2. श्री एम.ए.वी.गौतम, निदेशक (वित्त)	24,57,437.58
3. श्री ए .के.मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)	22,14,730.23
4. श्री जी.पी.कुदंरगी, निदेशक (उत्पादन एवं योजना)	22,29,088.38

※ इस पारिश्रमिक में पिछले वर्ष (वर्षो) का एरियर्स शामिल है ।

4. सर्व साधारण सभा :

कंपनी की पिछली तीन सर्व साधारण सभा का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :-

वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2006-07	30 जुलाई, 2007	11.00 सुबह	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 3, माउंट रोड एक्सटेंशन, नागपुर 440 001.
2007-08	29 जुलाई, 2008	11.00 सुबह	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1-ए, काटोल रोड ,मॉयल भवन,नागपुर -440013
2008-09	28 अगस्त, 2009	3.00 दोपहर	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1-ए, काटोल रोड ,मॉयल भवन,नागपुर -440013

वर्ष 2009-2010 के दौरान दिनांक 28.8.2009 को हुई सभा में कंपनी की अधिकृत पूजी एवं कंपनी के शेअरों के प्रत्यक्ष मूल्यों में परिवर्तन लाने हेतु आर्टीकल आफ अशोसिएशन में परिवर्तन का एक विशेष प्रस्ताव अति विशेष सामान्य सभा में स्वीकृत किया है।

5. आचरण संहिताः

अपने कर्मचारियों के लिए उच्च स्तरीय आचरण नियत करने के प्रयास के स्वरूप मॉयल ने अपने सभी मंडल सदस्यों के लिए एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ''व्यापार आचरण एवं नैतिक संहिता ''इस संहिता की एक प्रति कंपनी के वेब साईट WWW.moil.nic.in में डाली गई है । सभी मण्डल सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कों ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान मॉयल के ''व्यापार आचरण एवं नैतिक संहिता '' का अनुपालन करने की शाश्वति दी है ।

6. पार्टी सार्थक सामग्री व्यवहार का प्रकटीकरण

कंपनी ने सामग्रीय सार्थक संबंधित पार्टी व्यवहार का प्रकटीकरण नहीं आरंभ किया है जिससे बडे पैमाने पर कंपनी के हितों में संभावित संघर्ष निर्माण हो । फिर भी पार्टी से संबंधित व्यवहार वार्षिक रिपोर्ट के लेखा के नोट नम्बर 13 के शेड्यूल नं. 19 में प्रकट किया गया है ।

7. विसल ब्लोवर पॉलिसी (सत्य सूचक नीति):

मॉयल ने अपने कर्मचारियों के लिए विसल ब्लोवर पॉलिसी (सत्य सूचक नीति) स्थापित नहीं किया है फिर भी कमेटी तक पहुंच के लिए किसी कार्मिक को मना नहीं किया है ।

8. अंशधारण :

क्रमांक	अंशधारक	अंशों की संख्या	प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	13,70,35,680	81.57
2	महाराष्ट्र के राज्यपाल	1,61,57,400	9.62
3	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	1,48,06,920	8.81
	कुलः	**16,80,00,000**	**100**

मॉयल के उपरोक्त सामान्य शेअरों को एनएसडीएल तथा सीडीएसएल दोनों जमाकर्ताओं के साथ विभौतिकीकरण के लिए स्वीकृति मिली है । यद्यपि वर्तमान में उपरोक्त सभी शेअर फिजिकल फार्म में है ।

9. पिछले तीन वर्षोके दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा निदेशक के संबंध में कोई भी मामले पर सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अपालन दण्ड तथा आक्षेप :

पिछले तीन वर्षोके दौरान , अपालन का मामला नहीं हुआ है तथा दण्ड या आक्षेप कंपनी पर नहीं लगाया गया । कंपनी ने कानून तथा सभी पालनों के अवलोकन तथा आज्ञापालन के संबंध में उचतम मानदण्ड बनाए रखे हैं।

10. मण्डल सदस्यों के लिए प्रशिक्षणः

मण्डल सदस्यों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया किन्तु व्यापार से संबंधित मामले ,जोखिम मूल्यांकन आदि विषयों पर मण्डल / समिति सभाओं में वरिष्ठ अधिकारी /व्यावसायिक /सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाता है । विभिन्न संस्थओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु कंपनी अपने निदेशकों को नामित करती है ।

11. वित्तीय तथा अन्य जानकारियों का संवाद :

वार्षिक रिपोर्ट सहित वित्तीय परिणाम कंपनी के वेब साईट www.moil.nic.in में दर्शाई गई है । कंपनी की वेब साईट में कार्यालयीन समाचारों के साथ कंपनी की महत्वपूर्ण घटनाएं /परिवर्तन दर्शाए गए ।

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट -2009-10 अनुलग्नक - III

प्रस्तावना:

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट (प्रविविआर) का लक्ष्य यह है कि कंपनी का व्यापारिक वातावरण में विकास एवं पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी का कार्य निष्पादन तथा भावी दृष्टि को विशद करना । प्रविविआर निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है । किसी भी कंपनी का कार्य निष्पादन विभिन्न घटकों से जुडा होता है जिसमें मांग,पूर्ति,जलवायु स्थिति,आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, सरकारी नियम तथा नीतियां, कर नीति एवं नैसर्गिक आपत्तियां जो कंपनी के नियंत्रण की कक्षा से बाहर है तथा जो कंपनी के प्रचालन में उल्लेखनीय अंतर ला सकते है । इसे मद्दे नजर रखते हुए पर्यवेक्षण, दृष्टिकोण, अपेक्षाएं , आंकलन के संबंध में इस रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन जो वास्तविक से अलग हो सकते हैं ।

(अ) औद्योगिक ढांचा, बाजार परिदृश्य , अवसर एवं चुनौतियां

वित्तीय वर्ष 2008-09 के मध्य तक भारतीय इस्पात उद्योग में काफी वृद्वि देखी गई । मुख्यतः उच्च ढांचागत क्रियाकलापों एवं औद्योगिक वृद्वि के कारण इस्पात के उत्पादन एवं खपत में उंचाई देखी जा रही थी । किन्तु वैश्विक मंदी , जो अक्टूबर 2008 से प्रारंभ हुई जिस कारण लगभग सभी उद्योगों पर इसका विपरित परिणाम हुआ, विशेषकर इस्पात उद्योग में । प्रमुख घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उत्पादकों ने अपने उत्पादन में कटौती कर दिया जिस कारण फेरो अलाईस का उत्पादन घट गया और मैंगनीज अयस्क के उठाव में कमी आई ।

यद्यपि वैश्विक मंदी में विश्व को अपने वृद्वि की रणनीति को पुनः परिभाषित करने के लिए मजबूर किया किन्तु भारत जैसे देश जिसकी वृद्वि घरेलू खपत पर आधारित है उन पर ऐसी उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था पर इसका कम परिणाम अपेक्षित है । अन्य देशों की तुलना में भारत की वृद्वि बनी रहेगी ,कारण सरकार एवं उद्योग आने वाले 3-5 वर्षोमें 121 मिलियन टन क्षेमता प्राप्त करने की ओर देख रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि वर्तमान स्तर से देश की इस्पात क्षमता दुगना हो जाना । वर्ड स्टील असोसिएशन (डब्ल्यू एस ए) ने भविष्यवाणी किया है कि वर्ष 2009 में 6.7 % संविदा करने के पश्चात वर्ष 2010 में इस्पात का उपयोग 1241 मिलिएन टन अर्थात 10.7% से बढ जाएगा । उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस संकटकाल के दौरान भारत के इस्पात मांग में स्थिर वृद्वि रही तथा यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2009 के 7.7% के बाद वर्ष 2010 एवं 2011 में क्रमशः 13.9% एवं 13.7% की वृद्वि होगी ।

वर्तमान वर्ष के 60-61 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2010-11 (अप्रेल-मार्च) में भारत का इस्पात उत्पादन 65 मिलियन टन हो सकता है । मॉयल में यह क्षमता है कि उसके पास देश के फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क का 60% स्पष्ट भंडार है । मॉयल देश का सबसे बडा मैंगनीज अयस्क का उत्पादक भी है तथा उसे देश के लगभग 50% उत्पादन का श्रेय प्राप्त है । उसने अलग से फेरो अलाईस (फेरो मैंगनीज एवं सिलिको मैंगनीज) के उत्पादन के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के साथ संयुक्त उद्यम हेतु गठबंधन किया है जिससे उसे मैंगनीज अयस्क के उत्पादन के लिए एक अच्छा तैयार बाजार प्राप्त होगा । किन्तु कंपनी के लिए भारी मात्रा में मैंगनीज अयस्क का आयात हमेशा खतरा एवं चुनौती बनी रहेगी । इसके अलावा बढती मंहगाई का मामला देश के विकास के लिए बडा विचारणीय विषय है । इसके बावजूद अपने मजबूत आधारभूत तत्वों के बल पर मॉयल उच्च विक्री के अवसरों को पाने में सफल रहा । मॉयल एक ऋण मुक्त कंपनी रहने के कारण उसकी सेवा के लिए कोई ऋण नहीं है जो उसके आंतरिक शक्ति द्योतक है ।

(ब) परिच्छेद अथवा उत्पादानुसार निष्पादन

बिक्री निष्पादन:

मूल्य

वर्ष 2009-10 के दौरान कारोबार रूपये 965.47 करोड (ई.एम.डी. , फैरो मैंगनीज तथा डब्ल्यू टी जी यूनिट का कारोबार क्रमशः रूपये 5.80 करोड, 40.27 करोड तथा 9.31 करोड का समावेश है) जबकि लक्ष्य रूपये 632.59 करोड (ई.एम. डी. रूपये 5.63 करोड तथा फैरो मैंगनीज रूपये 48.83 करोड और डब्ल्यू टी जी यूनिट 11.73 करोड रूपये का समावेश) रहा । यद्यपि पिछले वर्ष इसी कालावधि में कारोबार रूपये 1284.84 करोड (जिसमें ई.एम.डी. , फेरो मैंगनीज तथा डब्ल्यू टी जी यूनिट का कारोबार रूपये क्रमशः 9.28 करोड , 80.03 तथा 8.25 करोड रूपये का समावेश है) था ।

मात्रा

वर्ष 2009-10 के दौरान 11.75 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की गई जबकि लक्ष्य 9.60 लाख टन था अर्थात 122% की उपलब्धी हुई । इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड की बिक्री 857 टन हुई जबकि लक्ष्य 1000 टन था । इस प्रकार 86% की उपलब्धी हुई । 10000 टन फेरो मैंगनीज बिक्री लक्ष्य पर 7479 टन की बिक्री हुई परिणाम स्वरूप 75% की उपलब्धी हुई ।

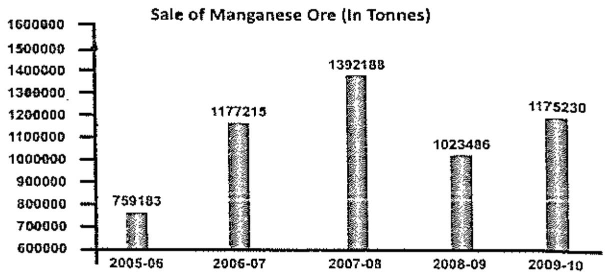

ई-सेल

कंपनी के व्यवहार में पारदर्शिता लाने हेतु मुख्य सतर्कता आयुक्त ने ई-कॉमर्स पर जोर दिया है इसे दृष्टि में रखते हुए तथा मैंगनीज अयस्क का अच्छा मूल्य प्राप्त करने तथा अधिक से अधिक ग्राहक जुटाने हेतु , कंपनी वर्ष के दौरान लगातार ई-सेल पर जोर देते रही । रिपोर्ट वर्ष के दौरान सफलता पूर्वक 13 ई ऑक्शन के द्वारा कंपनी ने मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज तथा स्लॅग के विभिन्न श्रेणियों की 154.99 करोड रूपये की 68255 टन की बिक्री किया ।

उत्पादन :

चालू वर्ष में कम्पनी ने 10.75 लाख टन समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 10.93 लाख टन विभिन्न श्रेणियों का मैंगनीज अयस्क उत्पादन करने में सफलता प्राप्त किया (गत वर्ष के दौरान 11.75 लाख टन) । कंपनी ने इलैक्ट्रीलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड (ई.एम. डी.) का उत्पादन 1150 टन (गत वर्ष 1240 टन) किया जो कि 1300 टन के निर्धारित लक्ष्य का 88% रहा । फैरो मैंगनीज का उत्पादन 9555 टन (गत वर्ष 10120 टन) हुआ जो निर्धारित लक्ष्य 8760 टन का 109% रहा ।

ग) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी यथेष्ठता :

कंपनी में, आंतरिक नियंत्रण के औचित्य , नीतियों पर चलने , प्रक्रिया एवं किसी भी दरार को ठीक करने के लिए , आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है । आंतरिक अंकेक्षण विभाग तथा आंतरिक अंकेक्षण,एक बहु अनुशासनिक कार्य है जो अनुभवी

विशेषज्ञों के दल द्वारा संचालित किया जाता है ।

लेखा नियंत्रणों का उचित तौर पर रखरखाव , प्रचालन की मॉनीटरिंग , संपत्तियों का अनाधिकृत उपयोग या हानियों से बचाव , कानूनों का पालन तथा वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता के लिए यह नियंत्रण प्रणाली बनाई गई है । कंपनी इस क्षेत्र में विश्व में प्रचलित तरीके के अनुसार सीध मिलाते हुए अपनी प्रक्रिया तथा नियंत्रण को बनाए रखने का लगातार प्रयास करती आ रही है । उत्तम निगमित प्रशासन को लक्षित करते हुए ,जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए भी एक पद्वतशील तथा शीस्तबद्ध पहुंच की पहल कर रही है ।

व्यवस्था में पारदर्शिता तथा आंतरिक यंत्रणा को लक्षित करते हुए मंडल द्वारा गठित अंकेक्षण समिति के देखरेख के अधीन, सर्वागिंण नियंत्रण परिवेश की शर्तोपर आंतरिक लेखा कार्य करती है । मंडल की अंकेक्षण समिति सक्रिय तौर पर आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की यथेष्ठता एवं प्रभाव की समीक्षा करती है तथा इसको सशक्त बनाने के लिए सुधार के सुझाव देती है । कंपनी मे सर्वागिंण सुधार लाने हेतु विभिन्न विभागों के समीक्षात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम बनाये जातं हैं ।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी क आकार के अनुरूप होती है । तथापि कंपनी हमेशा अपने आतंरित नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखा परीक्षा को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहती है । लेखा परीक्षा में पाये गये उल्लेखनीय निष्कर्षोंको कंपनी की अंकेक्षण समिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा अंकेक्षण समिति के मार्फत मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

घ) पर्यवेक्षण, जोखिम तथा चिंताएं

मैंगनीज अयस्क के बाजार में ऐतिहासिक वृद्वि देखी गई थी , विशेषतः वर्ष 2008-09 के मध्य तक तथा भारलीय मैंगनीज बाजार के इतिहास में सबसे अधिक मूल्य दर्ज किया गया । किन्तु उसके पश्चात घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात का बाजार अचानक टूटा तथा इस्पात के साथ साथ मैंगनीज के मूल्य में 60% गिरावट आई । इस्पात उद्योग में वृद्वि के कारणों में एक प्रमुख कारण, चीन से इसकी मांग थी किन्तु अक्टूबर 2008 से इसमें भारी गिरावट आना शुरू हो गया ।

मैंगनीज अयस्क का बाजार इस्पात उद्योग की नियति के साथ तौर पर जुडा हुआ है । आने वाले समय में कंपनी का कार्य निष्पादन इस्पात उद्योग के निष्पादन पर अवलम्बित होगा फिर भी भारत सरकार संरचना के विकास के लिए वचनबद्व है । भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न उत्तेजक पैकेजेस जारी किए हैं जिससे उद्योगों को सभी क्षेत्र में अपने निष्पादन को शक्तिशाली बनाने में तथा मंदी से बाहर निकलने के लिए मदत मिली है । भारत में संरचना का विकास उत्कृष्ट हो रहा है । चूंकि मॉयल अपना संपूर्ण मैंगनीज अयस्क घरेलू बाजार में बेचता है इसलिए यह अपेक्षित है कि आने वाले वर्षोंमें कंपनी अपना कार्य निष्पादन बनाए रखेगी । वर्ष 2010-11 के लिए संरचना पर 1.73 ट्रिलियन रूपये निवेश करने का प्रस्ताव भारत के बजट में है । पूरे देश में बडे बडे संरचना के द्वारा फिस्कल वर्ष मार्च 2011 तक 10% से इस्पात की मांग में वृद्वि देखी जा रही है ।

वर्तमान में देश का कच्चा इस्पात क्षमता 73 मिलियन टन है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि 2012 तक वह अंदाजन 121 मिलियन टन होगा अर्थात 65% अधिक । देश के विकास का प्रति कॅपीटा इस्पात खपत का सूचकांक अच्छा है । भारत में पिछले 3 वर्षोके दौरान प्रत्यक्ष इस्पात का पर कॅपीटा उपयोग 41 किलोग्राम से 48 किलोग्राम बढ गया है, तथा संरचना वृद्वि के साथ साथ विभिन्न ग्राउंड फिल्ड तथा ग्रीन फिल्ड परियोजनाओं के आने के कारण देश की कच्चे इस्पात क्षमता में और अधिक वृद्वि को ध्यान में रखते हुए , यह आगे बढना जारी रहेगा । यह विकास यह दर्शाता है कि घरेलू इस्पात उत्पादकों को मैंगनीज अयस्क की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी ।

मॉयल एक श्रमिक प्रधान संस्थान है । यद्यपि , कंपनी में औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट रहा है , किन्तु श्रम के साथ जुडा हुआ जोखिम तत्व हमेशा इसके उत्पादन निष्पादन के लिए प्रमुख भुमिका निभाता है । मैंगनीज

अयस्क क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नीति जैसे पट्टा नीति, वन बेदखली नीति , श्रम नीति इत्यादि कपनी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण तत्व रहा है तथा उनमें किसी भी परिवर्तन से कंपनी के कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पडता है। मैंगनीज अयस्कका आयात तथा उसकी नीति हमेशा मॉयल के लिए चिन्ता का विषय बनी रह सकती है। यातायात, श्रम, बिजली तथा अन्य कच्चे माल के लागत में वृद्वि भी कंपनी के लाभ को प्रभावित कर सकते है । फिर भी पिछले उत्तम कार्य निष्पादन को देखते हुए तथा पिछले 1ः वर्षोके दौरान गंभीर वैश्विक मंदी में अपने आपको बनाये रखने की क्षमता को देखत हुए, मॉयल भविष्य में अच्छे से अच्छा कार्य निष्पादन कर सकेगी ।

इ) प्रचालनीक कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर परिचर्चा ।

वित्तीय निष्पाद

रूपये करोड में

	2009-10	2008-09
बिक्र कारोबार	965.47	1284.84
कुल आय	1101.73	1407.99
कुल खर्च	355.75	407.98
सकल पडता	732.09	1031.42
मूल्य ह्रास	25.30	24.67
वर्ष का कर पूर्व लाभ	706.79	1006.76
आयकर प्रावधान	240.44	342.96
वर्ष का कर प श्चात लाभ	466.35	663.80
सामान्य आरक्षण को स्थानांतरण	357.00	508.00
लाभ अग्रेषित	0.58	0.58

वैश्विक मंदी के बावजूद पिछले वर्ष क 1284.84 करोड रूपये के कारोबार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 में 965.47 करोड रूपये का रिकार्ड कारोबार हुआ । कंपनी ने, पिछले वर्ष के 663.80 करोड रूपये शुद्व लाभ की तुलना में 466.35 करोड रूपये शुद्व लाभ अर्जित किया । कंपनी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी दूरदर्शी रोकड योजना जारी रखे हुए हैं तथा सरप्लस फण्ड को सावधी जमा में निवेशित कर रही है तथा 121.68 करोड रूपये ब्याज अर्जित किया है (पिछले वर्ष 103.87 करोड रूपये) ।

प्रचालनीक निष्पादन

वर्ष 2009-10 भी पुनः वैश्विक अर्थ व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय कारण इस वर्ष का प्रारंभ वैश्विक अर्थ व्यवस्था के लगातार अनिश्चितता के साथ हुआ । फिर भी कुछ हद तक इस मंदी से वर्ष के अगले कालावधि में बाहर आने में सफल रह । इन सभी के बावजूद भी कंपनी का कार्यनिष्पादन उल्लेखनीय रहा ।

उत्पादन समीक्षा

वर्ष के मध्य से जारी बाजार की अत्याधिक मंदी के बावजूद चालू वर्ष में कंपनी ने लक्षित उत्पादन 10.75 लाख टन के विभिन्न मैंगनीज अयस्क उत्पादित करने में सफलता प्राप्त किया । समझौता ज्ञापन के लक्ष्य की तुलना में कंपनी ने मैंगनीज अयस्क के विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन 10.93 लाख टन करके 102% की वृद्वि दर्ज किया है । इलैक्ट्रोलिटिक डाय ऑक्साईड का 88% तथा फेरो मैंगनीज का 109% उत्पादन किया । कंपनी ने 0.500 टन प्रति मानव पाली के लक्ष्य पर 0.728 प्रति मानव पाली उत्पादकता हासिल किया ।

रेवेन्यू तथा मार्केट शेयर की बढत को लक्ष्य करते हुए कंपनी ईएमडी तथा फेरो मैंगनीज जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद पर लक्ष्य केन्द्रीत करती आ रही है जिसने न केवल बाजार के उतार चढाव तथा स्थायित्व में लंबी अवधि तक बने रहने में मदद मिलेगी बल्कि लाभ में भी योगदान मिलेगा । यद्यपि , मूल्यवर्धित उत्पाद विशेषकर ईएमडी के उत्पादन में गिरावट आई जो मुख्य तौर पर वर्ष के दौरान संयंत्र दो माह तक बन्द रहा ।

कंपनी नियमित आधार पर अनुसंधान तथा विकास पर सक्रिय तौर पर कार्य कर रही है

- स्टोप डिझाइन का इष्टतमीकरण ।
- बेकार डम्प का पुनरावर्तन तथा अन्य पर्यावरण संरक्षण उपायों का अन्वेषण ।
- निम्न श्रेणी अयस्क के उन्नयन का अध्ययन ।
- भू-गर्भ खदानों के लिए पर्यायी खनन प्रणाली तथा सपोट सिस्टम का विकास ।

ई) मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित श्रम बल के साथ में सामग्री विकास ।

प) पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण , प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय उर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण ।

फ) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी ।

मद ई,प एवं फ में दर्शाए गए विवरण को वर्ष 2009-10 के निदेशक रिपोर्ट में शामिल करते हुए संदर्भित किया जाए ।

शाह बहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखापाल

205 घटाटे चेम्बर्स
पंचशिल चौक, नागपुर-440 012.
फोन : 0712-2422719,2453009,2452856
फैक्स :0712-2445589
इ-मेल : sbcngp@sbc-ca.com

शेयर धारकों के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड,नागपुर के31 मार्च 2010 के , संलग्न तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा समाप्त होने वाले वर्ष में अनुबद्ध किए गए तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह विवरणी का अंकेक्षण किया है । यह वित्तीय विवरणी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी, हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस वित्तीय प्रतिवेदन पर राय व्यक्त करना है ।

हमने हमारी लेखा परीक्षा , भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार सम्पन्न किए । इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार से बनाकर लेखा परीक्षा करें कि हमें पर्याप्त विश्वास हो जाए कि वित्तीय विवरणियों में असत्य जानकारी नहीं है । लेखा परीक्षा में जाँच के आधार पर परीक्षण करना वित्तीय विवरणियों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकट किये गए लेखों के समर्थन में साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है । लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल किये गये लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा उल्लेखनीय आंकलन करना साथ साथ कुल वित्तीय प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है ।

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप धारा (4 ए) के संदर्भ में केन्द्र सरकारी द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश 2003 , संशोधित कंपनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश 2004 , हम उक्त आदेश के पैरा 4 एवं 5 में निर्दिष्टमामलों की विवरणी अनुलग्न ''अ'' जोड रहे हैं ।

2. उपर्युक्त पैरा 1 के संदर्भ में अनुलग्नक में आगे हमारी टिप्पणी :-

   हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

   अ) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किया है जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थी ।

   ब) हमारी राय में हमारे द्वारा किताबों की जॉच करने पर यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के आवश्यकता अनुसार लेखा पुस्तकें रखी गई है ।

   क) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलना पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकद प्रवाही विवरण इस कंपनी के लेखा पुस्तकों से मेल खाता है ।

   ख) हमारी राय में इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाही विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के उप धारा (3 सी) में निर्दिष्ट लेखांकरण मानकों को अनुपालन करते है ।

   ग) कंपनी ने सूचित किया है कि कंपनी मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना क्रं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है ।

   घ) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 (अ) के अंतर्गत देय उप कर का भुगतान नहीं किया है न ही उसका प्रावधान किया है । सरकार द्वारा भुगतान पद्वति की अधिसूचना जारी होने तक यह लंबित है ।

   घ.) हमारे मतानुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा जैसे स्पष्टीकरण हमें दिया गया, कथित लेखा तथा उसके साथ की टिप्पणियां एवं लेखा नीति विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 तहत आवश्यक जानकारियां प्रदान करती है तथा साधारणतया भारत में मान्य लेखा सिद्वांत के अनुरूप सत्य एवं साफ दृष्टि प्रदान करती है ।

   i) 31 मार्च 2010 कंपनी के व्यवहार स्थिति के तुलन पत्र के संबंध में ।

   ii) वर्ष समाप्ति की तिथि कंपनी के लाभ का लाभ एवं हानि लेखा के संबंध में , तथा

   iii) वर्ष समाप्ति की तिथि पर नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरणी के संबंध में ।

कृते शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन नं. 109513 W

(सीए पी.एम.श्रावक)
भागीदार
सदस्यता क्रं. 109237

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक :21.5.2010

शाह बहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखापाल

205 घटाटे चेम्बर्स
पंचशिल चौक, नागपुर-440 012.
फोन : 0712-2422719,2453009,2452856
फैक्स :0712-2445589
इ-मेल : sbcngp@sbc-ca.com

लेखा अंकेक्षक के प्रतिवेदन का परिशिष्ट

वर्ष 2009-2010 हेतु मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के लेखा पर समान तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में

1) कंपनी ने अपने अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जिसमें स्थायी सम्पत्ति की स्थिति एवं उसका मात्रात्मक ब्यौरा के साथ पूरा विवरण दर्शाया गया है । वर्ष के दौरान प्रबंधन ने स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया तथा जांच में कोई सामग्री गडबडी नहीं पाई गई । हमारी राय में कंपनी के आकार तथा सम्पत्तियों के प्रकार को देखते हुए स्थायी सम्पत्तियों की वर्ष के अंत में जांच उचित रही । वर्ष के दौरान निपटान की गई स्थायी सम्पत्तियां बहुत अधिक नहीं थी ,जिसके चलते उसका कंपनी की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पडा ।

2) जैसा कि हमें बताया गया, मैंगनीज अयस्क, फैरो मैंगनीज, ईएमडी भंडार तथा कल पुर्जोके स्कंध का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल में भौतिक सत्यापन किया गया । हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के आकार तथा व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए प्रक्रिया उचित एवं पर्याप्त थी । हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने स्कंध के लिए पर्याप्त अभिलेखों को तैयार किया तथा अभिलेख पुस्तकों एवं भौतिक स्कंध के बीच भौतिक जांच में जो अंतर मिला वह वस्तुगत नहीं था उसे लेखा पुस्तकों में उचित ढंग से दर्ज किया गया ।

3) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसी किसी भी कंपनी , फर्म अथवा अन्य किसी पार्टी से ऋण ,सुरक्षित व असुरक्षित रूप में न तो लिया या दिया जिनका ब्यौरा रखना कंपनी विधि, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आता है ।

4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार एवं व्यवसाय के प्रकार को देखते हुए स्कंध ,स्थायी सम्पत्तियों की खरीदी तथा मालकी बिक्री के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपनाई गई । हमारे लेखा परीक्षा के दौरान इस क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई प्रमुख कमियां नहीं पाई गई ।

5) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ जिसका हिसाब रखना कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आवश्यक है ।

6) कंपनी ने आम जनता से किसी प्रकार जमा स्वीकार नहीं की, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए तथा 58 -ए ए के अंतर्गत निर्धारित नियम लागू नहीं होते है ।

7) कंपनी में आंतरिक लेखा प्रणाली विद्यमान है किन्तु हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा व्यवसायको ध्यान में रखते हुए कंपनी की आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए ।

8) केन्द्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत लागत अभिलेख तैयार करने की बात निर्धारित नहीं की है ।

9) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर, कंपनी, वर्ष के दौरान भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेस (उपकर) जैसे अविवादित वैधानिक देय तथा अन्य वैधानिक देयों को उचित प्राधिकरणों को चुकाने के मामले में नियमित रही । कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 (ए) के अनुसार देय उपकर की केन्द्रीय सरकार द्वारा आज तारीख तक निश्चित नहीं की है । अतः नियमितता या उक्त राशि जमा करने बाबत कोई टिप्पणी करने की स्थिति में कंपनी नहीं है । आयकर, बिक्री कर, संपति कर, सेवा कर , कस्टम ड्यूटी, आबंकारी कर, उप कर विवाद स्वरूप देना बाकी नहीं है ।

10) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी का कोई भी जमा घाटा नहीं रहा, न ही वित्तीय वर्ष में, कोई नगद

घाटा हुआ और न ही इस वित्त वर्ष के पूर्व वर्ष में ।

11) कंपनी ने न तो किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से ऋण लिया और न ही ऋण पत्र जारी किया ।

12) कंपनी ने किसी जमानत के आधार पर अंशों, ऋण पत्रों का अन्य जमानत को गिरवी रखकर किसी भी प्रकार का ऋण अथवा अग्रिम जारी नहीं किया ।

13) कंपनी कोई चिट फण्ड, निधि, म्युचअल बेनिफिट फण्ड और सोसायटी नहीं है अतः आदेश का उपबंध 4(दखखखख) लागू नहीं होता ।

14) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अंशों, सिक्यूरिटी ऋण पत्रों तथा अन्य निवेश पत्रों के कारोबार या सौदे में लिप्त नहीं है । अतः आदेश का 4(दखत) लागू नहीं होता ।

15) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने किसी अन्य द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी भी ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है ।

16) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई टर्म लोन नहीं लिया है।

17) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने अल्प अवधि के आधार पर कोई नीधिप्राप्त नहीं किया है । सभी सम्पत्तियां अंशधारकों के नीधि द्वारा नीधिबद्व की गई है।

18) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी या ऐसी कंपनी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण अंशों का आबंटन नहीं किया तथा जिनका रजिस्टर रखना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 की सीमा में आता है ।

19) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार का ऋण पत्र जारी नहीं किया ।

20) वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए पैसा नहीं उगाहा है ।

21) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी में अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार के धोखाधडी नहीं पाई गई । कृते शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.

कृते शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन नं. 109513 W

(सीए पी.एम.श्रावक)
भागीदार
सदस्यता क्रं. 109237

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक :21.5.2010

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,
निदेशक मण्डल,
मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड,
नागपुर

अ) हमने, हमारी अच्छी से अच्छी जानकारी एवं विश्वास के साथ 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड का वित्तीय विवरण एवं नगद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :-

(I) इस विवरण में कोई भी महत्वपूर्ण असत्य विवरण या महत्वपूर्ण तथ्य का विलोप या भ्रामक विवरण का समावेश नहीं है ।

(II) यह विवरणी कंपनी के व्यवहार की सच्ची एवं साफ दृष्टि प्रस्तुत करती है तथा वर्ममान में लागू लेखा करण के मानक, लागू कानून एवं नियमन के अनुवर्ती है ।

ब) हमारे अच्छी से अच्छी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान कोई भी धोकाधडी, गैर कानूनी या कंपनी के आचार संहिता का अतिक्रमण का व्यवहार नहीं किया गया है ।

क) हम , वित्तीय रिपोटींग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा कंपनी के वित्तीय रिर्पोटींग के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को इस आंतरिक नियंत्रण के बनावट या प्रचालन की यदि कोई कमी हो तो उसे उनके समक्ष प्रकट किया है इन त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदम के बारे में हमें जानकारी है ।

ड) हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को सूचित किया है :-

(I) वर्ष 2009-10 के वित्तीय रिपोटींग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन ।

(II) वर्ष 2009-10 केदौरान लेखा नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसे वित्तीय विवरणी के टिप्पणी में प्रकट किया है ; तथा

(III) ऐसे धोकाधडी के मामले जिसकी हमें जानकारी हुई है तथा वित्तीय रिपोटींग पर प्रबंधन एवं कर्मचारी जिनकी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है ।

सही /-
एम.ए.वी.गौतम
निदेशक (वित्त)

सही/-
के.जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 21-5-2010

प्रगति वेद (काकानी)
एम.काम.,एल.आई.आई.आई.,ए.सी.एस.

प्रगति वेद एण्ड कं.,
(कंपनी सचिवालय)
डी–200 आर.एम.एस.कॉलोनी,
टैगोर नगर,
रायपुर–492001(सी.जी.)
मो. 09665301248, 98901-27067
ईमेल–vedpragati@rediffmail.com

प्रति,
सदस्यों,
मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड,
मॉयल भवन, 1–ए,काटोल रोड,
नागपुर

महोदय,

हमने, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए लागू निगमित अधिशासन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 18(8)/ 2007-GM दिनांक 22-6-2007 में निर्दिष्ट निगमित अधिशासन की शर्तोंका, 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेडद्वारा, अनुपालन किए जाने की जाँच किया है ।

निगमित अधिशासन की शर्तोंका अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन का है । हमारे जांच का दायरा, निगमित अधिशासन की शर्तोंके अनुपालन के सुनिश्चितता के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया तथा उसके परिपालन तक सीमित था । यह अंकेक्षण नहीं है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर प्रगट की गई राय है ।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम, निम्नलिखित शर्तो

पर ,प्रमाणित करते हैं किउपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निगमित अधिशासन के शर्तो का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया :–

i) उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आदेशानुसार मण्डल के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए । यह देखा गया कि 31 मार्च 2010 को 4 निदेशकों की अपेक्षा केवल 3 स्वतंत्र निदेशक है । कंपनी ने यह सूचित किया कि एक स्वतंत्र निदेशकका कार्यकाल पूर्ण होने के कारण कंपनी इस शर्त की पूर्ति नहीं कर पाई । यद्यपि उन्होंने यह मामला अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात इस्पात मंत्रालय के समक्ष उठाया है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भविष्य की अंकुरण क्षमता का आश्वासन नही है और न क्षमता या प्रभावशीलता का , जिससे प्रबंधन द्वारा कंपनी का व्यवहार संचालित किया जाता है ।

प्रगति वेद एण्ड कं.,
कंपनी सचिवालय

प्रगति वेद (काकानी)
प्रोपाईटर
सी.पी.एन. 5329

नागपुर,
दिनांक : 19–5–2010

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के 31मार्च 2010 को समाप्त हुये वर्ष के लेखाओं पर भारतके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ :-

कपनी अधिनियम 1956 में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टींग ढाचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की वित्तीय विवरणी बनाने की जिम्मेदारी कंनपी के प्रबंधन की है । कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक अंकेक्षक, कंपनी अधिनियम 1856 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जवाबदार है जो उनकी व्यावसायिक निकाय, भारती सनदी लेखापाल संस्था द्वारा निर्धारित, अंकेक्षण एवं आश्वासन मानको के अनुकूल स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित हो । यह कथन है कि वह किया गया है, देखे उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 21 मई 2010.

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1056 की धारा 619 (3) बी के अंतर्गत मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड का 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वालले वर्स का वित्तीय विवरण का अनुपूरक अंकेक्षण किया है । यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के दस्तावेजो से गुजरे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह सांविधिक अंकेक्षको के प्राथमिक जांच तथा कंपनी के कार्मिक तथा कुछ चुनिंदा लेखा पुस्तको तक सीमित था । मेरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा_छ नतहीं आया कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी या अनुपूरित करने का कारण बन सके ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

सही /-
(एम. के. बिस्वास)
प्रधान निदेशक
वाणिज्य लेखा परीक्षा एंव पदेन सदस्य
लेखा परीक्षक बोर्ड (III)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 जून 2010

31 मार्च 2010 की स्थितिनुसार तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

विवरण	अनुसूची	31.3.2010		31.3.2009	
		रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अ) निधी का स्त्रोत					
1) भागीधारियों की निधी					
अ) शेयर पूंजी	1	16800.00		2800.00	
ब) आरक्षित तथा अधिशेष निधी	2	150937.10		129287.22	
			167737.10		132087.22
2) विलंबित कर देयता	19 (14)		1283.31		1850.22
			169020.41		133937.44
ब) निधीयों का उपयोग :					
1) स्थायी संपतियां	3				
अ) सकल खण्ड		35702.66		34199.97	
ब) (–) मूल्य ह्रास		16048.61		13636.30	
क) शुद्ध खण्ड		19654.05		20563.67	
ड) (+)पूंजीगत चालू निर्माणकार्य		2217.76		1545.28	
			21871.81		22108.95
2) निवेशः	4		21.28		11.28
3) चालू परिसम्पतियां कर्ज तथा अग्रिम राशिया	5				
अ) चालू परिसम्पतियां					
(i) वस्तु सूचियां		4753.94		5836.53	
(ii) विविध लेनदार		8574.47		6108.88	
(iii) नगद एवं बैंक में शेष जमा		148709.79		123217.21	
(iv) चालू परिसम्पतियां		5977.81		5414.07	
		168016.01		140576.69	
ब) कर्जेऔर अग्रिम राशियां	6	6262.84		4283.16	
		174278.85		144859.85	
कम करें :					
चालू देयताएं तथा प्रावधान					
अ) चालू देयताएं	7	14586.53		18667.62	
ब) प्रावधान	8	12565.00		14375.02	
		27151.53		33042.64	
शुद्ध चालू परिसम्पतियां			147127.32		111817.21
			169020.41		133937.44

अनुसूची क्रं. 1 से 20 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है
यह रिपोर्ट स्थितिनुसार सम तिथि तुलनपत्र से संदर्भित है

कृते शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफआरएन नं. 109513थ
सीए पी.एम.श्रावक
भागीदार (एम.एन. 109237)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2010

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

के.जी.कविश्वर
उप महा प्रबंधक (वित्त)

एम.ए.व्ही.गौतम
निदेशक (वित्त)

के.जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

(रूपये लाख में)

विवरण	अनुसूची	2009 -10 वर्ष के लिए		2008 -09 वर्ष के लिए	
		रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अ. आय					
(अ) कुल बिक्री	9	96547.09		128484.06	
(-) उत्पाद शुल्क		241.07		304.14	
शुद्व बिक्री			96306.02		128179.92
(ब) अन्य आय	10		13625.66		12314.69
(क) रिटन बॅक का प्रावधान	11		5.79		10.36
(ड) भंडार में बढ़त/घटत	12		-1152.22		3435.93
कुल आयः			108785.25		143940.90
कम करें :					
ब. खर्च :					
(अ) अयस्कउत्खनन/प्रचालन खर्च	13	25232.67		28809.06	
(ब) विर्निमाण एवं विद्युत निर्माण खर्च	14	3718.52		4432.43	
(क) प्रशासकीय एवं बिक्री का खर्च	15	6152.25		7217.36	
(ड) अनुसंधान एवं विकास खर्च	16	287.71		167.19	
(इ) बट्टे खाते में डालना एवं प्रावधान	17	92.68		165.99	
(फ) जंगल भूमि विविधिकरण खर्च		92.15		6.62	
कुल खर्च :			35575.98		40798.65
मूल्य ह्रास तथा ब्याज से पहले का सकल लाभ			73209.27		103142.25
कम करें: मूल्य ह्रास			2529.86		2466.58
कराधान पूर्व लाभ			70679.41		100675.67
कम करें :					
कर प्रावधान					
(अ) आयकर के लिए प्रावधान –					
(i) चालू वर्ष के लिए		24460.35		34099.82	
(ii) पिछले वर्षोके लिए		161.41		-3.50	
		24621.76		34096.32	
(ब) फ्रिन्ज बेनीफिट टॅक्स के लिए प्रावधान					
(i) चालू वर्ष के लिए		0.00		29.63	
(ii) पिछले वर्षोके लिए		-10.15		-3.02	
		-10.15		26.61	
(क) वर्ष के लिए विलम्बित कर देयता (-)संपत्ति		-566.91		173.41	
			24044.70		34296.34
कराधानपश्चात लाभः			46634.71		66379.33
पिछले वर्ष से शेष लाभ			58.43		39.43
(+) अू. एवं वि.आरक्षण से स्थानांतर			50.00		0.00
वनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ राशि			46743.14		66418.76

(रूपये लाख में)

विवरण	2009 -10 वर्ष के लिए		2008 -09 वर्ष के लिए	
क. विनियोजन				
(अ) प्रस्ताविक अंतिम लाभांश 34% (275%) #	5712.00		7700.00	
- अंतरिम लाभांश 22% (200%) #	3696.00		5600.00	
		9408.00		13300.00
(ब) सरचार्ज /उपकर को शामिल करते अंतिम लाभांश पर कर	948.69		1308.61	
सरचार्ज /उपकर को शामिल करते अंतरिम लाभांश पर कर	628.14		951.72	
		1576.83		2260.33
(क) सामान्य आरक्षिति को स्थानांतरित		35700.00		50800.00
(ड) अग्रेनित शेष		58.31		58.43
		46743.14		66418.76
# वर्ष 2009-10 के दौरान 1:5 अनुपात में बोनस शेअर जारी करने के पश्चात				
प्रति शेअर पर आय				
अ) कर पश्चात शुद्व लाभ		46634.71		66379.33
ब) प्रति 10 रूपये शेयर की संख्या (बोनस शेअर के पश्चात पुर्ननिर्धारित-10 रूपये)		168000000		168000000
क) प्रति 10 रूपये शेयर पर आय (प्राथमिक एवं अनुपात ह्रास) - रूपये में (Basic and diluted) - In Rupees		27.76		39.51

अनुसूची क्रं. 1 से 20 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है
यह रिपोर्ट स्थितिनुसार सम तिथि तुलनपत्र से संदर्भित है

कृते शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफआरएन नं. 109513थ
सीए पी.एम.श्रावक
भागीदार (एम.एन. 109237)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2010

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

के.जी.कविश्वर
उप महा प्रबंधक (वित्त)

एम.ए.व्ही.गौतम
निदेशक (वित्त)

के.जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

31 मार्च 2010 को तुलन पत्र की अनुसूची

(रूपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 का	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अनुसूची 1- शेयर पूंजी				
अधिकृत				
250000000 (10000000)रू. 10/- (100/-) प्रत्येक के इक्वीटी शेयर		25000.00		10000.00
निर्गमित , अंशदानित एवं प्रदत्त				
168000000(2800000)रू. 10/- (100/-) प्रत्येक के इक्वीटी शेयर		16800.00		2800.00
आरक्षण के पूंजीकरण के द्वारा जारी किए गए बोनस शेयर का विवरण				

वित्तीय वर्ष		शेअरों की सं.	पूंजीकृत आरक्षण	
			सामान्य आरक्षित	पूंजीगत आरक्षित
2006-07	#	1267486	1267.49	0.00
2009-10	#	140000000	13993.39	6.61

\# वर्ष 2009-10 में शेअर के 100/- रूपये प्रत्यक्ष मूल्य को रूपये 10/- प्रत्यक्ष शेअर मूल्य में विभाजित किया गया है ।

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 का	
अनुसूची -2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
आरक्षित पूंजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.61		6.61	
(-) बोनस शेअर के द्वारा पूंजीकृत	6.61		0.00	
		0.00		6.61
अ . एवं वि .आरक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	50.00		50.00	
(-)लाभ हानि लेखा को स्थानांतरित	50.00		0.00	
		0.00		50.00
सामान्य आरक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	129172.18		78372.18	
(-) बोनस शेअर जारी करके पूंजीकरण	13993.39		0.00	
(+) लाभ हानि लेखा से स्थानांतर	35700.00		50800.00	
		150878.79		129172.18
लाभ हानि लेखा				
लाभ का शेष		58.31		58.43
कुल :		150937.10		129287.22

अनुसूची -3

स्थायी परिसंपति 2009-2010

(रुपये लाख में)

क्र.	संपति का ब्यौरा	सकल परिसम्पति				मूल्य ह्रास				शुद्ध परिसंपत्ति	
		31.3.09 के अनुसार	परिवर्धन	कटौती	31.3.10 के अनुसार	31.3.09 के अनुसार	वर्ष के लिए	कटौती	31.3.10 के अनुसार	31.3.10 के अनुसार	31.3.09 के अनुसार
1	भूमि	859.31	123.10	0.00	982.41	0.00	0.00	0.00	0.00	982.41	859.31
2	पट्टाधारी भूमि	1394.35	0.00	0.00	1394.35	493.93	69.71	0.00	563.64	830.71	900.42
3	भूमि एवं इमारत	6365.88	417.17	0.27	6782.78	1307.77	279.01	0.24	1586.54	5196.24	5058.11
4	डाटा प्रोसेसिंग मशीनरी	156.42	34.73	4.66	186.49	119.01	23.88	4.43	138.46	48.03	37.41
5	संयंत्र मशीनरी	14748.42	921.85	104.89	15565.38	9527.56	1076.97	95.12	10509.41	5055.97	5220.86
6	विंड टरबाईन जनरेटर	9701.74	0.00	0.00	9701.74	1457.82	1003.16	0.00	2460.98	7240.76	8243.92
7	रेल्वे साइडिंग	38.18	0.00	0.00	38.18	15.90	3.09	0.00	18.99	19.19	22.28
8	फर्नीचर एवं कार्यालयीन	453.88	26.61	3.10	477.39	336.19	21.83	2.67	355.35	122.04	117.69
9	वाहन	481.79	109.07	16.92	573.94	378.12	52.21	15.09	415.24	158.70	103.67
		34199.97	1632.53	129.84	35702.66	13636.30	2529.86	117.55	16048.61	19654.05	20563.67
10	चालू पूंजीगत कार्य :									2217.76	1545.28
										21871.81	22108.95
11	पिछले वर्ष	30247.57	4160.02	207.62	34199.97	11359.69	2466.58	189.97	13636.30	22108.95	19743.20

1 नागपुर कार्यालय स्थित भूमि एवं इमारत ,मूल्य-ह्रास के प्रयोजन हेतु सामुहित, की गई है क्योंकि भूमि का मूल्य निश्चित नहीं किया गया है !

2 वर्ष के लिए मूल्य ह्रास मे पर मूल्य ह्रास शामिल है ।

	2009-10 के लिए	2008-09 के लिए
(अ) ईएमडी संयंत्र परिसम्पति	47.39	36.97
(ब) फेरो प्लांट परिसम्पति	21.71	24.05
(क) पवन चक्की विभाग परिसम्पति	1006.71	958.98
	0.00	10.18

3 पूंजीगत कार्य पगति में ,पूंजीगत कार्य के लिए ठेकेदारों का अग्रिम राशि का समावेश है !

4 बोबीली की 112.18 जमीन का टायटल-डिल का काम जारी है ।

31मार्च 2010 के तुलनपत्र की अनुसूची

(रूपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 का	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अनुसूची 4 - विनिवेश (अनकोटेड) लागत पर				
खदानों के सहकारी दूकानों /सोसायटीयों का पूरी तरह प्रदत्त शेयर :				
(अ)को-आपरेटिव स्टोर (अपंजीकृत) प्रति 5 रूपये का 500 (500) शेयर्स	0.03		0.03	
(ब) को-आपरेटिव स्टोर (अपंजीकृत) प्रति 25रूपये का 1612 (1612) शेयर्स	0.40		0.40	
(क)को-आपरेटिव स्टोर (अपंजीकृत) प्रति 10 रूपये का 8556 (8556) शेयर्स	0.85		0.85	
		1.28		1.28
संयुक्त उद्यम में विनिवेश (प्रारंभिक अंशदान) :				
(अ) 10/- रूपये प्रत्येकी के 100000 (100000) इक्वीटी शेअर्स सेल-मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि.	10.00		10.00	
(ब) 10/- रूपये प्रत्येकी के 100000 (शून्य) इक्वीटी शेअर्स आरआईएनमॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि. में	10.00		0.00	
पूर्णतः नियोजित (आबंटन के लिए शेअर्स लम्बित है)		20.00		10.00
		21.28		11.28
अनुसूची -5 चालू परिसम्पतियाँ :				
(अ) वस्तु सूचियां (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)				
(i) लागत पर मूल्यांकित कच्चे माल का भंडार		74.58		78.41
(ii) लागत पर मूल्यांकित स्टोर एवं स्पेयरों का भंडार	557.28		593.26	
(-) अप्रचलित भंडार सामग्री एवं	4.20		4.20	
		553.08		589.06
(iii) मार्गस्त माल (स्टाक इन ट्रांजिट) लागत मूल्य		6.01		1.96
(iv) लागत पर स्टाक इन ट्रेड या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इनमें जो कम है		4101.18		5160.91
(v) चालू कार्य		19.09		6.19
Total		4753.94		5836.53
ब) विविध देन दारियां :				
(i) मान्य वस्तु				
6माह से अधिक अदत्त ऋण	9.90		12.24	
अन्य	8564.57		6096.64	
		8574.47		6108.88
(ii) संदिग्ध माने हुए		42.02		47.81
		8616.49		6156.69
(-) संदिग्ध देनदारियों का प्रावधान		42.02		47.81
Total		8574.47		6108.88
क) नगद एवं बैंक शेष :				
(i) उपलब्ध नगद		6.12		7.50
(ii) अनुसूचित बैंकों में शेष				
फिक्स डिपाजिटों में		146501.67		122555.50
चालू खातों में		2202.00		654.21
		148709.79		123217.21
ड) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां:				
(i) फिक्स एवं अन्य डिपाजिटों पर उपर्जित ब्याज		5884.12		5317.73
(ii) विविध प्राप्त होने योग्य राशियां		93.69		96.34
योगः		5977.81		5414.07
कुल योगः		168016.01		140576.69

31मार्च 2010 के तुलनपत्र की अनुसूची

(रूपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 का	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अनुसूची 6 – कर्ज एवं पेशगियां (उचित समझा गया)				
अ) सुरक्षित				
कर्मिको को कर्ज		151.48		146.42
ब) असुरक्षित :				
(i) कार्मिको को पेशगियां		99.48		71.35
(ii) भंडार सामग्री,स्पेयर्स एवं मशीनरी क्रय के लिए पेशगियां	109.30		54.34	
(-) संदिग्ध पेशगियों के लिए प्रावधान	0.57		0.57	
		108.73		53.77
(iii) ठेकेदार एवं अन्य को पेशगियां		175.82		186.05
(iv) प्राप्य दावे :	0.53		0.53	
(-) संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	0.53		0.53	
		0.00		0.00
(v) पूर्वदत्त खर्च		32.61		22.39
(vi) रेल्वे, विद्युत मंडल एवं अन्य के पास जमा राशियां प्रदत्त		418.24		412.86
(vii) आयकर का अग्रिम भुगतान (शुद्व)		5276.48		3390.32
		6262.84		4283.16
अनुसूची 7– चालू देयताएं :				
अ) विविध लेनदार		2278.14		2005.84
ब) ग्राहक से अग्रिम राशि		1193.90		1279.63
क) पूर्तीकार,ठेकेदार व अन्य से सुरक्षा जमा राशियां		1530.37		1188.95
ड) खर्च हेतु देयताएं		9106.37		13913.80
इ) अन्य देयताएं		477.75		279.40
		14586.53		18667.62
अनुसूची 8 – प्रावधान :				
अ) इक्वीटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश		5712.00		7700.00
ब) लाभांश पर कर हेतु प्रावधान		948.69		1308.61
क) बकाया छुट्टियों हेतु प्रावधान				
तुलन पत्र तिथि पर देयता	3192.48		2564.97	
(-) एलआईसी में जमा फण्ड	2717.10		1400.30	
		475.38		1164.67
ड) उपदान हेतु प्रावधान		1674.86		1759.32
इ) पेंशन फण्ड हेतु प्रावधान		3354.27		2115.88
फ) पूर्णतः खान बंद खर्च हेतु प्रावधान		399.80		326.54
		12565.00		14375.02

31मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 का	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अनुसूची 9 -बिक्री:				
अ) मैंगनीज अयस्क की विक्री		91009.40		118728.26
ब) ई.एम.डी.की विक्री		579.60		928.21
क) फैरो मैंगनीज की विक्री		4026.86		8003.01
ड) एमपीईबी को विद्युत की बिक्री		931.23		824.58
		96547.09		128484.06
(-) उत्पादन शुल्क -				
अ) ई.एम.डी.की विक्री पर	44.89		109.37	
ब) फैरो मैंगनीज की विक्री पर	196.18		194.77	
		241.07		304.14
शुध्द बिक्री		96306.02		128179.92
अनुसूची 10- अन्य आय				
अ) ब्याज				
(i) जमा राशियों पर	12167.91		10387.04	
(ii) पेशगियों पर	15.69		13.73	
(iii) बकाया राशियों पर	230.94		12.46	
(iv) आयकर/विक्री कर वापसी पर	5.89		8.30	
		12420.43		10421.53
ब) कार्मिकों से वसूली:				
(i) किराया	2.69		2.11	
(ii) बिजली (विद्युत)	8.67		6.63	
(iii) शाला बस	2.38		2.22	
		13.74		10.96
क) कबाड की विक्री		2.75		0.47
ड) इमारतों का किराया		12.77		12.98
इ) कल्याण आयुक्त से प्रतिपूर्ती		0.88		2.02
फ)ईएमडी समपहरण (जब्ती)		400.06		386.62
ज) बिक्री कर दावा /वापसी		101.20		113.84
छ))फैरो मैंगनीज स्लैग की विक्री	685.63		1314.31	
(-) उत्पाद शुल्क	52.19		159.87	
शुद्ध		633.44		1154.44
(i) विविध आय		40.39		211.83
		13625.66		12314.69
अनुसूची -11-रिटर्न बॅक का प्रावधान				
अ) संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान		0.00		5.15
ब) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		0.00		4.24
क) प्रावधान और आगे आवश्यक नहीं		5.79		0.69
ड) अप्रयुक्त भंडार की बिक्री पर अनुमानित हानि का प्रावधान		0.00		0.28
		5.79		10.36

31मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 का	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अनुसूची 12-भंडार में वृद्धि / ह्रास				
अ) मैंगनीज अयस्क				
बंद भंडार	2036.48		3995.24	
(-) खुला भंडार	3995.24		999.40	
		-1958.76		2995.84
ब) इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय-आक्साईड :				
बंद भंडार	451.93		221.44	
(-) खुला भंडार	221.44		296.65	
		230.49		-75.21
क) फैरो मैंगनीज :				
बंद भंडार	1631.85		950.42	
(-) खुला भंडार	950.42		438.57	
		681.43		511.85
अ		-1046.84		3432.48
कम करें:				
बंद भंडार पर उत्पाद शुल्क				
अ) इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय-आक्साईड :				
बंद भंडार पर	42.20		16.86	
(-) खुले भंडार पर	16.86		37.39	
		25.34		-20.53
ब) फैरो मैंगनीज :				
खुले भंडार पर	152.39		72.35	
(-) बंद भंडार पर	72.35		55.27	
		80.04		17.08
ब		105.38		-3.45
शुद्ध वृद्धि/ह्रास (अ-ब)		-1152.22		3435.93

31मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए		वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अनुसूची 13- अयस्क उत्खनन/प्रचालन खर्च				
1) कार्मिक लागत				
वेतन,मजदूरी एवं बोनस	12388.13		15478.08	
पी.एफ एवं अन्य निधियों में अंशदान	4334.00		5341.01	
कल्याण खर्च	776.06		483.11	
		17498.19		21302.20
2) ठेकेदारों के द्वारा परिवहन,रेलिंग एवं अन्य कार्य		3005.25		2948.78
3) भंडार सामग्री व स्पेअर्स की खपत		2816.96		2855.21
4) विद्युत एवं ईधन		999.43		933.09
4) मरम्मत तथा अनुरक्षणः				
(i) इमारते	250.14		160.17	
(ii) संयंत्र एवं मशीनरी	809.06		589.32	
(iii) अन्य	164.06		160.41	
		1223.26		909.90
5) किराया		0.83		1.01
6) दर तथा कर		103.98		84.93
7) बीमा		29.70		29.71
8) मुद्रण एवं स्टेशनरी		22.90		33.25
9) पोस्टेज,तार एवं दूरभाष/फैक्स		10.81		12.44
10) यात्रा एवं वाहन		72.53		86.99
11) प्रबंधन प्रशिक्षण		45.39		38.87
12) विविध खर्च		179.10		169.40
		26008.33		29405.78
(-) मैंगनीज अयस्क की लागत जो ई.एम.डी. तु फैरो संयंत्र को स्थानांतरित किया		775.66		596.71
		25232.67		28809.06
अनुसूची 14 -विनिर्माण एवं विद्युत निर्माण खर्च				
(a) कार्मिक खर्च :				
वेतन, मजदूरी बोनस	259.10		323.57	
भविष्य निधि तथा अन्य निधि में अंशदान	97.39		120.78	
कल्याण खर्च	12.08		6.42	
		368.57		450.77
(b) ठेकेदारों का भुगतानः		152.64		179.64
(c) कच्चे माल का खपत		1714.22		2295.28
(d) स्टोर एवं स्पेयर की खपत		69.71		51.20
(e) संयंत्र एवं मशिनरी की मरम्मत		66.15		31.11
(f) बीमा		2.52		2.98
(g) विद्युत एवं ईधन		1308.78		1352.52
(h) प्रवास एवं यात्रा भत्ता		3.71		5.11
(i) विविध खर्च		32.22		63.82
		3718.52		4432.43
टिप्पणी :-				
1) अयस्क निकालने के लिए परिसम्पति का मरम्मरत एवं रखरखाव का खर्च शामिल ।				
(अ) वेतन एवं मजदूरी		649.88		445.25
(ब) स्टोर एवं कलपुर्जे		105.99		54.68

31मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए		वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अनुसूची 15- प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च				
अ) प्रशासनिक खर्च :				
(a) कार्मिक लागत				
वेतन,मजदूरी एवं बोनस	976.97		1203.55	
पी.एफ एवं अन्य निधियों में अंशदान	392.70		483.19	
कल्याण खर्च	76.80		70.43	
		1446.47		1757.17
(b) विद्युत एवं ईंधन		50.92		51.26
(c) मरम्मत तथा अनुरक्षणः				
(i) इमारते	71.68		89.37	
(ii) संयंत्र एवं मशीनरी	7.23		7.44	
(iii) अन्य	19.63		14.71	
		98.54		111.52
(d) किराया		0.90		1.33
(e) दर तथा कर		127.93		11.51
(f) बीमा		18.02		35.00
(g) मुद्रण एवं स्टेशनरी		25.89		36.16
(h) पोस्टेज,तार एवं दूरभाष/फैक्स		22.15		20.36
(i) यात्रा एवं वाहन		135.87		132.34
(j) कानूनी /व्यवसायिक शुल्क एवं खर्च		17.72		28.82
(k) आडिटर का पारिश्रमिक		3.83		3.08
(l) निदेशक की बैठक शुल्क		2.54		1.65
(m) विज्ञापन		79.82		44.34
(n) प्रबंधन प्रशिक्षण		12.89		23.92
(o) अनुदान		0.20		0.05
(p) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च		156.97		542.12
(q) विविध खर्च		126.22		79.36
(r) आयकर पर ब्याज		144.31		0.00
		2471.19		2879.99
ब) बिक्री खर्च :				
(a) रायल्टी एवं उपकर		3469.42		3500.34
(b) बिक्री पर नगद छूट		100.57		86.50
(c) आरबीटेशन अवार्ड पर क्षतिपूर्ति		2.63		639.15
(d) ई -आक्शन पर सेवा प्रभार		87.93		95.84
(e) सॅम्पलिंग खर्च		20.51		15.54
		3681.06		4337.37
सकल योगः		6152.25		7217.36
अनुसूची 16 - अनुसंधान एवं विकास खर्च :				
(a) खदानों पर गवेषण हेतु ड्रिलिंग		248.97		137.64
(b) ब्लास्टींग / राक मैकेनिकस एवं स्टोप डिजायनिंग अध्ययन ई.		38.74		29.55
		287.71		167.19
अनुसूची 17- बट्टा खाता एवं प्रावधान				
(a) रद्द परिसम्पति बट्टे खाते में डालना		12.29		17.65
(b) भंडार सामग्री एवं स्पेयरो की		1.26		1.34
(c) कमी को बट्टे खाते में डालना		5.79		0.70
(d) पूर्तिकर्ता के अग्रिम को बट्टे खाते में डालना		0.00		4.24
(e) पुराने चिकित्सा /अन्य अग्रिम को बट्टे खाते में डालना		0.08		0.13
(f) वी.आर.एस.खर्च को बट्टे खाते में डालना		0.00		63.83
(g) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		0.00		0.06
(h) अंतिम तौर पर खान बंद खर्च का प्रावधान		73.26		78.04
		92.68		165.99

लेखाकरण नीतियाँ

अनुसूची - 18

स्थायी परिसम्पत्ति का लेखाकरण :

क) स्थायी परिसम्पत्ति का मुल्यांकन :

स्थायी परिसम्पत्ति का मूल्य उसकी मूल लागत पर रखा गया है !

ख)मुल्य ह्रास :

यह कम्पनी, कंपनी अधिनियम कीअनुसूची xiv में निर्धारित किये अनुसार 5000/- रूपये तक मुल्य के स्थायी परिसम्मत्ति पर 100 प्रतिशत मुल्य-ह्रास लगाती है ।(1) विंड टरवाईन जनरेटर के मामले में स्टेट लाईन प्रणाली तथा (2) अन्य सभी परिसम्मपत्ति पर रिर्टन डाउन वेल्यू प्रणाली , प्रो रेटा आधार पर समय समय पर अनुसूचि xiv में किए गए संशोधन के अनुसार निर्धारित किये गये दर से की जाती है । यद्यपि पुरे माह के मुल्य ह्रास की गणना तब से की जाती है जब उस माह के जिस किसी भी दिन से किसी परिसम्पति का उपयोग किया जाता हैं :-

पट्टाधारी भूमि की लागत , वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए, पट्टे की कालावधि पर परिशोधित की जाती है ।

ग) परिसम्पत्ति पर हानि बट्टा खाता :

गिराई गई / हटाई गई सभी परिसम्पतियां उसका स्क्रेप मुल्य शुन्य मानकर बट्टे खाते में डाली जाती है । यदि जब ऐसे स्क्रेप परिसम्पत्तियों का आंशिक या पुरी तौर पर निपटान किया जाता है तब इस प्रकार से वसुल हुई राशि उस वर्ष के लाभ एवं हानी लेखा में जमा की जाती है !

निर्माण कार्य अवधि के दौरान खर्च :

विशिष्ट प्रकल्प को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किये जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किए जाने वाले सभी खर्च जो सीधे पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नामें डाले जाते हैं ।

ड) निर्माण कार्य अवधि के दौरान ब्याज:

निर्माण काल में आरंभ होने से समाप्त होने तक विशिष्ट परिसम्पति से संबंधित कर्जेका ब्याज पूंजीकृत किया जाता है।

2) बंद भंडार का मूल्यांकन:

वस्तुसूची का निम्न आधार पर मुल्यांकन किया जाता है : -

अ)तैयार माल

सभी ग्रेड के मैंगनीज अयस्क (फाईन्स,हच डस्ट एवं एचाईएमएस रिजेक्टस छोडकर) :- खानों पर लागत के आधार पर, जिसमें खदान परिसम्पति पर मुल्य ह्रास या शुद्व वसुली योग्य मूल्य इसमें जो कम है, शामिल है !

(2) मैंगनीज अयस्क फाईन्स , हच डस्ट एवं एचआईएमएस रीजेक्टस :

जिगींग/प्रोसेसिंग परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधार पर तकनीकी अनुमान या शुद्व विक्रीयोग्य मुल्य पर, इसमें जो भी कम है आबंटन किया जाता है ।

(3)बंदरगाहों पर मैंगनीज अयस्क :-

बंदरगाहों पर उतराई पश्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्व वसुलीयोग्य मुल्य इसमें जो कम है । उतराई लागत में परिवहन किराया ,उतराई खर्च , नमुना परिक्षण का खर्च आदि का समावेश होता है ! प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकी भंडार के अंतर का समायोजन तब तक नहीं किया जाता, जब तक खदानों में स्थित भंडार की कुल किताबी भंडार से तुलना करने पर अधिक पाई नहीं जाती ! जब भी प्रत्यक्ष तौर पर अयस्क भेजा जाता है और रेल्वे/जहाजों में माल भरने के बाद प्रत्येक परेषण अनुसार आने वाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी के पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है !

(4) इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिस की निश्चिती ईएमडी की पूर्ण निर्मित युनिटों के प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा किया जाता है) :- ईएमडी संयंत्र के मुल्य ह्रास के साथ चालू वर्ष का उत्पादन या शुद्व वसुली योग्य मुल्य इसमें जो भी कम है ।

(5) अ) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित 31मार्च को केक रूप में शामिल करते हुए फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज :-

चालू वर्ष के उत्पादन लागत जिसमें फैरो मैंगनीज संयत्र का मुल्य ह्रास या शुद्व वसुली योग्य मुल्य, इसमें जो कम है।

ब) प्रक्रियागत भंडार :- प्रक्रिया से गुजरने वाले मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मुल्य नहीं दिया जाता है !

क) स्लैग का भंडार :- स्लैग यह फैरो मैंगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्व द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रेप माना जाता है , उसका मुल्य आंका नहीं जा सकता और इसलिए जिस वर्ष उसकी बिक्री होती है, उस वर्ष में उसे अन्य आय में लेखाकृत किया जाता है ।

ड) भंडार सामग्री वस्तुसूची :- (भंडार सामग्री, स्पेयर्स, टिम्बर, विस्फोक, इंधन (प्यिुऐल) एवं ल्युब्रिकंट्स एवं कच्चा माल) :- भारीत औसत पद्वति पर लागत । सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है ! प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकी (किताबी) भंडार अंतर की जांच कर लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जाता है ! फैरो मैंगनीज संयंत्र के मामलों में , संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क छोडकर , कच्चे माल के भंडार का भारीत औसत तरीके पर आधारित किमत से मुल्य निर्धारित किया जाता है ! संयंत्र में विद्यमान मैंगनीज अयस्क के भंडार का मुल्य चालु वर्ष की उत्पादन किमत या शुद्व वसुलीयोग्य मुल्य , इसमें जो कम है , वह और परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च यदि हो तो उस पर निर्धारित किया जाता है ! प्लांट में उपलब्ध अयस्क का खुला एवं बंद भंडार को '' स्टॉक आफ रॉ . मटेरियल'' के शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है ।

(3) बिक्री

रेल्वे रसीद/लॉरी रसीद/डिलिवरी चालान के आधार पर माल रवानगी करने के पश्चात विक्री इनवाईस प्रस्तुत किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है ।

(अ) मैंगनीज अयस्क की बिक्री:-

गुणवत्ता तथा / या मात्रा में अंतर के बारे में विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पूरक बिल तैयार किए जाते हैं । यह भी विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने वाले वर्ष में ही उगाहे जाते हैं तथा उसी वर्ष में समायोजित किए जाते हैं । बिक्री में रायल्टी की राशि शामिल है।

(ब) ईएमडी /फैरो मैंगनीज /सिलिको मैंगनीज की बिक्री :-

इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय आक्साईड एवं फैरो मैंगनीज की बिक्री में, उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर ,जो उन पर लागू है ,का समावेश है ।

(क) म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लि. को विद्युत बिक्री :–

विद्युत बिक्री समझौते में मंजूर किए गए शुल्क दर के आधार पर ग्रिड में डाली गई उर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है ।

(4) अन्य आय :

विविध देनदारों से ब्याज के रूप में आय ,भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के एएस–9 के निर्देश अनुरूप निम्नानुसार माने जाते है :–

जहां देनदारों से वसुली की बैंक द्वारा क्रेडिट पत्र से पुष्टि की जाती है जहां उसके वसुली सुनिश्चित होती है ,वहां उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है । चालू वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित है उस वर्ष में मान्य किया जाता है । जहां देनदारों से वसुली बैंक के मार्फत क्रेडीट पत्र द्वारा पुष्टि नहीं की जाती वहां प्रबंधन के अनुभव के आधार पर उसकी वसुली सुनिश्चित होती है वहां जैसे जैसे प्रत्यक्ष वसुली होती है उस वसुली को आय के तौर पर माना जाता है !

ब) जमा राशियां एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है !

क) पुनः स्थापित/घिसे हुए पार्ट / स्क्रेप पूंजी मदों के संबंध में ज्ञापन प्रतिवेदन रखे जाते है ! जब उसकी बिक्री जब उसका निपटारा किया जाता है ,तब वह आय ,उस वर्ष में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है !

(5) केप्टिव खपत :–

मैंगनीज अयस्क ईएमडी/फैरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौर पर निर्गमित किया गया मैंगनीज अयस्क, फाईन्स/ एचआईएमएस रीजेक्ट्स का मुल्य चालू वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्याकन के लिए अपनाएं जाने वाले तरीके से फाईन्स/ एचआईएमएस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है । अयस्क का खपत औसत लागत के आधार पर हिसाब में लिया जाता है । निर्गमित अयस्क का मुल्य अयस्क उत्खनन/ प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा ''विनिर्माण खर्च '' के मद में कच्चे माल के खपत के तौर पर मान्य किया जाता है !

विद्युत :

पवन उर्जा संयंत्र यूनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खान/संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार संबंधित इकाई को विद्युत प्रभाग लगाया जाता है ।

(6) विक्रीकर, आयकर आदि :–

अ) विक्री कर, आयकर आदि के संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है , उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को ,वह आदेश किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न रखते हुए , उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है ।

ब) क्रय पर बिक्री –कर में छूट का दावा किया जाता है ! छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है , उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है ।

(7) कार्मिकों के लाभ :–

कर्मचारियों के लघुकालीन लाभ :–

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में छूट मुक्त राशि को लघुकालीक कर्मचारी लाभ खर्च माना जाता है ।

नियोजनोत्तर पश्चात लाभ :-

(1) परिभाषित लाभ योजना

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ –हानि लेखा मेंलाभ को खर्च के रूप में मान्य किया जाता है । बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग करते हुए वर्तमान देय राशि के मूल्य पर खर्चोको मान्य किया जाता है । बीमांकिक प्राप्ति तथा नियोजनोत्तर से संबंधित हानि तथा अन्य दीर्घकालीक लाभ , लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया जाता है ।

(2) परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना नियोजनोत्तर लाभ योजना है , जिसके अंतर्गत कंपनी अलग अलग नीधियों में तय अंशदान का भुगतान करती है । परिभाषित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है ।

8) वी.आर.एस.खर्च

कंपनी, वी.आर.एस.लिये गये वर्ष के लाभ हानि लेखा में संपूर्ण खर्च चार्ज करती है ।

9) कल्याण आयुक्त से प्राप्त सबसिडी का लेखाकरण :

श्रमिक निवास स्थान :– कंपनी ने कुछ श्रमिक निवास स्थानों का निर्माण किया है /कर रही है उस के लिए कंपनी कल्याण आयुक्त उसे सबसिडी मिल रही है ! चूंकि जिस भूमि पर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता हैं वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपूर्द की जाती है और यह परिसम्पति (निर्मित निवास स्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यर्पित की जाती है ! इसलिए इस कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है / सबसिडी प्राप्त होती है उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है !

कल्याण परिसम्पति :– कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली परिसम्पतियां जैसे शाला, बस, रूग्णवाहिका, जलापूर्ति योजना आदि के संपादन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसम्पति लेखा में डाला जाता है ! प्राप्त हुई सबसिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसम्पति के शीर्षक खाते में जमा की जाती है और बाद में मुल्य हास उस वर्ष से परिसम्पति के कम किये मूल्य पर आंका जाता है !

10) कंपनी के दावे :–

बीमा कंपनी / रेलवे में दाखिल किये दावों की राशियों को उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियां के आधार पर लेखे में लिया जाता है । उसके उचित निश्चित मूल्यांकन में उसका उगाही या अंतर, यदि है, तो दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है ।

11) पूर्वदत्त खर्च :–

जहां प्रत्येक मामले में रूपये 1,00,000/– से ज्यादा उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है ।

12) संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान :–

पिछले दो वर्षोसे अधिक रूके पडे फुटकर ऋणों के लिए प्रत्येक मामले की खराब तथा संदिग्ध ऋणों की अलग अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है । नीजि पार्टियों के नाम पर 3 वर्षोसे अधिक अवधि तक पडी राशियों के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की जाती है !

13)अनुसंधान एवं विकास खर्च :–

आर एण्ड डी खर्च उसी वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास से संबंधित स्थायी परिसम्पति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसम्पति के खर्च के समान ही माना जाता है !

14)खान बंद का खर्च :-

संबंधित नियम एवं अधिनियम के तहत तकनीकी मूल्यांकन के तहत अंतिम खान बंद करने का वित्तीय प्रभाव उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार किया जाता है । जिसे साल दर साल वार्षिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अखाते में प्रावधान किया जाता है !

15) वन भूमि का अ-वनभूमि हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्यांकनः

संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियों को तय किया जाता है ।

16) पूर्वावधि खर्च :-

पिछले वर्ष (वर्षोके) के मूलभूत कमिशन /ओमिशन त्रुटियों को पिछले समय के समायोजित खाते में डालकर सुधारित किया जाता है !

17) तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेन के मामले :-

तुलन पत्र के तारीख के बाद तथा उसके अनुमोदित के पश्चात उल्लेखनीय महत्वपूर्ण घटना का का प्रभाव या तो तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा को संयत किया जाता है या निदेशक रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लेखित किया जाता है !

अनुसूची - 20

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर टिप्पणियाँ

1 **आकस्मिक देयताएं:**

(अ)कर्ज के तौर पर अस्वीकृत कंपनी के खिलाफ दावे :

(i)	कार्मिकों का वेतन एवं अन्य लाभ के दावे ।	40.48	28.66
(ii)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे सायडिंग से संबंधित किराये के एरियर्स के भुगतान के दावे	109.68	109.68
(iii)	ठेकेदारों द्वारा संविदा उत्तरदायित्वपूर्ण न करने के लिए दावे ।	26.42	26.42
(iv)	तिरोडी खान पर अयस्क उत्पादन पर ट्रांझिट फी भुगतान के लिए वन विभाग द्वारा किए गए दावे ।	72.28	Nil
(v)	वन विभाग द्वारा पट्टा दिये जाने के संबंध शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए भुगतान किया गया दावा ।	97.34	Nil

(ब) निर्धारण वर्ष 2007-08 तक आय कर का निर्धारण पूर्ण कर लिया गया है । विवादित मामलों के विरुद्ध विभाग द्वारा जो आयकर का भुगतान किया गया / वापस प्राप्त हुआ उसे कर्ज तथा अग्रिम के अधीन दर्शाया गया है ! विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के अपील के अंतिम निपटारे पर ही इन विवादित अग्रिम को समायोजित किया जाता है ! विभाग द्वारा की गई मांगों ,जिस पर कम्पनी ने विवाद उपस्थित किया है,

निर्धारण वर्ष	विवादित मांग	भुगतान रकम	बकाया 31.3.10	के पास लंबित
2007-08	रूपये लाख में 83.03	रूपये लाख में 83.03	रूपये शून्य	आयकर आयुक्त (अपील)

कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर पहले से ही किए गए प्रावधान से अधिक वित्तीय भार नहीं आयेगा !

((क) कम्पनी ने प्रोगेसिव माइन क्लोझर प्लान के संबंध में 181.67 (170.93) लाख रूपये का बैंक ग्यारन्टी द्वारा वित्तीय आश्वासन आय.बी.एम.को दिया है ! इस बैंक ग्यारंटी के सम राशि की फिक्स डिपाझिट राशि बैंक /सरकारी विभाग द्वारा रखी गई है ।

(ड) पूंजीगत खातों में संपादित होने से बकाया अनुमानित कांट्रेक्ट की राशि तथा प्रावधान नहीं की गई 813.87 (1631.99) लाख रूपये थी । इस प्रकार कि संविधाओं के लिए रूपये शून्य (10.18) है ।

(2) कंपनी की 761.60 वर्ग मीटर भूमि को एकीकृत सडक विकास योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अधिग्रहित किया गया । इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी एक लेखी याचिका कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय, नागपुर में दायर की गई है जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है । लेखी याचिका के लंबित होने से उसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया !

(3) अ) मैंगनीज ओर का उत्पादन एवं वस्तुसूची भार परिमाण अनुपात (वेट व्हैल्युम रेश्यो) आधार पर आता है !

ब) फैरो मैंगनी संयंत्र के बारे में अधिकांश कच्चा माल एवं तैयार माल की वस्तुसूची का उत्पादन/तकनीकी विभाग द्वारा भार परिमाण अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके अनुसार उसे हिसाब में लिया जाता है !

क) कच्चे माल के स्कंध 11.15 (6.36 लाख रूपये) लाख रूपये मुल्य का 292 (266) टन मैंगनीज अयस्क का स्कंध 31.3.2010 को फैरो मैंगनीज संयंत्र स्थल पर पडा शामिल है !

(4) विविध देनदार (ऋण को) तथा विविध लेनदारों (धनको) के वर्ष समाप्ति पर बकाया राशि के पुष्टीकरण पत्र पार्टियों को भेजे गये है , प्राप्त पुष्टीकरणों का ,कंपनी शेष राशियों का सत्यापन एवं तालमेल की प्रक्रिया कर रही है !

(5) कार्मिकों के संबंध में दी गई सुरक्षित ऋण का प्रलेखन, कुछ मामलों में लंबित है !

6. ऋण एवं पेशगियां (अनुसूची– 6) शामिल है :–

रुपये लाख में

	विवरण	31-03-2010	31-03-2009
अ)	अधिकारियों को अग्रिम राशि	0.00	0.10
	वर्ष के दौरान व्यक्तिशः अधिकतम बकाया	2.97	0.10
ब)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को अग्रिम राशि	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	1.88	0.00
क)	विद्युत मण्डल के पास जमा ब्याज (जमा में शामिल)	327.42	324.77

7 कंपनी ने मण्डल के स्वीकृति के आधार पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए 1238.39 (2115.88) लाख रुपये का प्रावधान किया है । मंत्रालय से स्वीकृति की प्रतिक्षा है ।

8 अप्रचलित भंडार सामग्री / स्पेअरों का निपटान करने के बाद होने वाली प्रत्याशित हानी हेतु की गई 4.20 लाख रुपये (4.20 लाख रुपये) का प्रावधान पर्याप्त माना जाता है !

9 ब्याज एवं किराया से कटौती किया गया आय कर कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया जो 1626.85 (2198.43) लाख रुपये है ।

10 30 दिन से अधिक 100000 से बकाया एसएसआई यूनिट को देय विविध देनदारी में शून्य लाख रुपये शामिल है ।

11 प्रशासनिक खर्च (अनुसूची– 15) शामिल है :–

रुपये लाख में

	विवरण	2009-10	2008-09
1	प्रवास खर्च :		
	अ) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	14.05	17.07
	ब) निदेशक	41.72	42.01
2	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		
	अ) लेखा परीक्षा शुल्क	2.76	2.21
	पॉकेट खर्च	0.15	0.14
	ब) अन्य सेवाएं	0.92	0.73
		3.83	3.08
3	विज्ञापन जिसमें जन संपर्क एवं प्रचार खर्च शामिल है	38.21	22.01

12. **परिभाषित दायित्व** – लेखा मानक 15 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :–

I. **परिभाषित दायित्वों के खुले एवं बंद शेष का समन्यन :**

रुपये लाख में

वर्तमान दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन	उपदान (दी गई नीधि) (2009-10)	उपदान (दी गई नीधि) (2008-09)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2009-10)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2008-09)
वर्ष के प्रारंभ में	6790.87	4870.68	2564.97	1364.65
चालू सेवा लागत	458.93	357.26	212.15	181.75
ब्याज लागत	543.27	389.66	205.20	109.17
बीमाकिंत (प्राप्ति) /हानि	1251.08	1449.75	255.48	996.52
लाभ का भुगतान	(403.22)	(276.48)	(45.32)	(87.12)
वर्ष के अंत में	8640.93	6790.87	3192.48	2564.97

II. **योजना संपत्ति के प्रत्यक्ष मूल्य का खुले एवं बंद शेष का समन्वय :**

प्रत्यक्ष योजना संपत्ति में	उपदान (दी गई नीधि) (2009-10)	उपदान (दी गई नीधि) (2008-09)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2009-10)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2008-09)
वर्ष के आरंभ में	5031.55	3817.57	1400.30	1214.93
योजना संपत्ति पर प्राप्ति	475.48	360.76	125.33	114.81
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	101.88	67.04	72.12	8.27
नियोजक का अंशदान	1760.38	1026.21	1164.67	149.41
लाभ का भुगतान	(403.22)	(240.03)	(45.32)	(87.12)
वर्ष के समाप्ति पर	6966.07	5031.55	2717.10	1400.30

III. **संपत्ति एवं दायित्व का प्रत्यक्ष मूल्य का समन्वय :**

	उपदान (दी गई नीधि) (2009-10)	उपदान (दी गई नीधि) (2008-09)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2009-10)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2008-09)
वर्ष के प्रारंभ में योजना संपत्ति का संगत मूल्य	6966.07	5031.55	2717.10	1400.30
वर्ष के समाप्ति पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8640.93	6790.87	3192.48	2564.97
तुलन पत्र में मान्य की गई देय राशि	1674.86	1759.32	475.38	1164.67

IV. **लाख हानि लेखा में स्वीकृत खर्चे:**

	उपदान (दी गई नीधि) (2009-10)	उपदान (दी गई नीधि) (2008-09)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2009-10)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2008-09)
चालू सेवा लागत	458.93	357.26	212.16	181.75
ब्याज लागत	543.27	389.66	205.20	109.17
योजना संपत्ति पर अपेक्षित प्राप्ति	(475.48)	(360.76)	(125.33)	(114.81)
बिमांकिक (प्राप्ति/हानि	1149.20	1382.70	183.35	988.25
लाभ हानि लेखा में स्वीकार किए गए कुल खर्चे	1675.92	1768.86	475.38	1164.36

V. **बिमांकीक अंगीकार:**

	उपदान (दी गई नीधि) (2009-10)	उपदान (दी गई नीधि) (2008-09)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2009-10)	छुट्टी का नगदीकरण (दी गई नीधि) (2008-09)
मृत्यु दर तकता (एलआईसी)	(1994-96) ultimate	(1994-96) ultimate	(1994-96) ultimate	(1994-96) ultimate
छूट दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	8%	8%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी (प्रतिवर्ष)	9.45%	9.45%	8.90%	9.45%
वेतन वृद्धि दर(प्रतिवर्ष)	5%	5%	5%	5%

13. **संबंधित पार्टीयों के साथ व्यवहार** – लेखा मानक – 18 के अनुसार व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है !

अ) जिन पार्टियों के साथ व्यवहार किया गया है उन संबंधित पार्टियों की सूची एवं संबंध

1	श्री के.जे.सिंह	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
2	श्री एम.ए.व्ही.गौतम	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
4	श्री ए.के.मेहरा	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
5	श्री जी.पी.कुंदरगी	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
6	सेल एवं मॉयल फेरो अलाए प्रा.लि.	संयुक्त उद्यम
7	आरआयएल मॉयल फेरो अलाए प्रा.लि.	संयुक्त उद्यम

ब) संबंधित पार्टी के साथ इस वर्ष के दौरान व्यवहार

रूपये लाख में

	विवरण	2009-10	2008-09
1	प्रबधकीय मेहनताना		
	अ) वेतन एवं भत्ते	92.22	30.23
	ब) भविष्य नीधि में अंशदान	7.28	2.90
	क) वास्तविक/अनुमानित प्रीक्वीजिट का मूल्य	10.73	6.61
	ड) कुल	110.23	39.74
2	यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति	55.77	59.08
3	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्वीटी शेअर पूंजी में प्रारंभिक अंशदान	10.00	10.00
4	पार्ट टाईम निदेशक का बैठक शुल्क	2.54	1.65

14. विलम्बित कर देनदारी – लेखा मानक 22 के अनुसार नीचे दर्शाये अनुसार प्रकटीकरण :– रुपये लाख में

क्रं.सं.	Particulars	2009-10/ 31st मार्च, 2010	2008-09/ 31st मार्च, 2009
1	विलंबित कर देयता मुल्य ह्रास से संबंधित	2993.01	3203.58
2	विलंबित कर परिसम्मपति आयकर अधिनियम के तहत अस्वीकृत	1709.70	1353.36
3	31 मार्च को बंद शेष	1283.31	1850.22
4	लाभ हानि लेखा के लिए विलम्बित कर –देनदारी में बढत	-566.91	173.41

15. संयुक्त उद्यम – लेखा मानक 27 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाएअनुसार है :–

(अ) संयुक्त उद्यम कंपनियों का विवरण :–

संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	विनिगमन का विवरण		मालकियत का अनुपात	प्रारंभिक अंशदान रुपये लाख में
	देश	तारीख		
सेल एवं मॉयल फेरो अलाए प्रा.लिमिटेड	भारत	31.07.2008	50%	10.00
आरआईएन मॉयल फेरो अलाईस प्रा.लिमिटेड	भारत	29.07.2009	50%	10.00

(ब) वित्तीय विवरण :– रुपये लाख में

विवरण	स्थिति	
	31.03.2010 (अन–अंकेक्षित)	31.03.2009 (अंकेक्षित)
आकस्मिक देयता में कंपनी का शेअर	शून्य	9.30
पूंजी उत्तरदायित्व का कंपनी का शेअर	शून्य	शून्य
संयुक्त उद्यम के लिए दिया गया ग्यारंटी	शून्य	शून्य
संयुक्त उद्यम कंपनी के लेखा के अनुसार कंपनी के ब्याज की कुल राशि –		
(i) सेल–मॉयल फेरो अलाईस प्रा.लि.		
अंशधारक की नीधि	10.00	10.00
सुरक्षित/असुरक्षित कर्ज	Nil	Nil
विलंबित कर देयता (शुद्ध)	Nil	Nil
स्थायी संपत्ति तथा चालू पूंजीगत कार्य	16.56	11.09
शुद्ध चालू संपत्ति	-13.84	-1.55
लाभ–हानि लेखा में नामे शेष	6.42	0.46
विविध खर्च (बट्टे खाते में नहीं डाला गया)	0.86	Nil
आय	Nil	Nil
खर्च	Nil	0.46
(ii) आरआईएनमॉयल फेरो अलाईस प्रा.लि.		
अंशधारक की नीधि	10.00	लागु नही
सुरक्षित/असुरक्षित कर्ज	29.10	लागु नही
विलंबित कर देयता (शुद्ध)	0.00	लागु नही
स्थायी संपत्ति तथा चालू पूंजीगत कार्य	0.65	लागु नही
शुद्ध चालू संपत्ति	8.56	लागु नही
लाभ–हानि लेखा में नामे शेष	29.89	लागु नही
आय	0.00	लागु नही
खर्च	0.00	लागु नही

16. प्रावधान – लेखाकरण मानक 29 के अनुसार विवरणों का प्रगटीकरण निम्नानुसार है :– रुपये लाख में

प्रावधान का विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.09	अतिरिक्त प्रावधान वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान राइट ऑफ/राइट	बंद शेष बेक की गई राशि 31.03.10 को
अंतिम खान बंदी का खर्च	326.54 (248.50)	73.26 (78.04)	-- (--)	399.80 (326.54)
बुरे तथा संदिग्ध कर्ज का खर्च	47.81 (53.59)	-- (0.06)	5.79 (5.84)	42.02 (47.81)

अंतिम खान बंदी खच के संबंध में, अंतिम खान बंदी के समय नगद निर्गम अपेक्षित है ।

17 पूंजीगत माल, स्टोर /कलपुर्जेतथा कच्चा सामान – रूपये शून्य (87.24) लाख

18 प्रवास के लिए विदेशी मुद्रा का खर्च – 7.00 (6.47) लाख रूपये

19 लाभ हानि लेखा की अतिरिक्त जानकारी !

(अ) उपयोग किया गया प्रमुख कच्चा माल :-

	वर्ष 31.3.2010		वर्ष 31.3.2009	
	मात्रा मेट्रीकटन में	रूपये लाख में	मात्रा मेट्रीकटन में	रूपये लाख में
फैरो मैंगनीज प्लांट –				
अ. मैंगनीज अयस्क	24680.00	758.45	26120.00	586.31
ब. कोक	5255.49	634.81	5565.10	1201.24
स. कार्बन पेस्ट	137.30	36.02	142.00	34.47
ई.एम.डी.प्लांट –				
अ. मैंगनीज अयस्क	4161.00	12.42	4428.00	6.09
ब. सल्फ्यूरिक एसिड	345.00	13.20	396.35	51.96
स. सोडियम कार्बोनेट	20.07	4.08	22.38	4.46

(ब) उत्पादन , बिक्री , खुला तथा बंद भंडार

	वर्ष 31.3.2010		वर्ष 31.3.2010	
	मात्रा मेट्रीकटन में	रूपये लाख में	मात्रा मेट्रीकटन में	रूपये लाख में
अ) उत्पादन -				
मैंगनीज अयस्क	1093363	--	1175318	--
ई.एम.डी.	1150	--	1240	--
फैरो मैंगनीज	9555	--	10120	--
पवन उर्जा (किलोवाट हार्स पावर)	33101066	--	30039353	--
ब) विक्रिः				
मैंगनीज अयस्क	1175230	91009.40	1023486	118728.26
ई.एम.डी.	857	579.60	1419	928.21
फैरो मैंगनीज	7479	4026.86	9425	8003.01
म.प्र.ई.बो.को बिजली (कि.वा.)	24055800	931.23	20510400	824.58
स) खुला भंडारः –				
मैंगनीज अयस्क	177443	3995.24	56328	999.40
ई.एम.डी.	403	221.44	582	296.65
फैरो मैंगनीज	2368	950.42	1673	438.57
द) बंद भंडारः –				
मैंगनीज अयस्क	66709	2036.48	177443	3995.24
ई.एम.डी.	696	451.93	403	221.44
फैरो मैंगनीज	4444	1631.85	2368	950.42

(क) मैंगनीज ओर का बंद भंडार ई.एम.डी. के उत्पादन हेतु 4161 (4428) टन और फैरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु 24706 (26289) टन के निर्गमन का समायोजन करने के बाद निकाला है

(ड) पवन चक्की द्वारा निर्मित बिजली में बालाघाट खान तथा फेरो मैंगनीज प्लांट में उपयोग की गई 9045266 (9528953) किलो वाट बिजली का समावेश है ।

(ई) अनुज्ञपित एवं स्थापित क्षमताः

ई.एम.डी.संयंत्र	1000 एम.टी. प्रतिवर्ष
फैरो मैंगनीज संयंत्र	10000 एम.टी. प्रतिवर्ष
पवन उर्जा जनरेटर	40000000 कि.वा.प्र.वर्ष

(प) वास्तविक उत्पादन/ निर्माण

ई.एम.डी.संयंत्र	1150 (1240) मैट्रिक टन
फैरो मैंगनीज संयंत्र	9555 (10120) मैट्रिक टन
Electricity	33101066 (30039353) कि.वा.प्र.वर्ष

(फ) क्षमता उपयोगः

ई.एम.डी.प्लांट	115% (124%)
फैरो मैंगनीज संयंत्र	96% (101%)
पवन टरबाईन जनरेटर	83% (75%)

20 पिछले वर्ष तत्सम आकडे समीक्षाधीन वर्ष के आंकडों के साथ तुलन योग्य करने हेतु पुनः समूहीत किये गये है ।अनुसूची में कोष्ठकों में दिये गये पिछले वर्ष के तत्सम आंकडे है !

अनुसूची 1 से 20 इस वित्तीय विवरण का अविभाज्य हिस्सा है !

कृते शाह बहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर के लिए
एफआरएन नं. 109513W

(सी.ए. पी.एम.श्रावक) भागीदार (एम.नं.109237)	नीरज पाण्डेय कम्पनी सचिव	के.जी.कविश्वर उप महा प्रबंधक (वित्त)
स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 21 मई 2010	(एम.ए.व्ही.गौतम) निदेशक (वित्त)	के.जे.सिंह अध्यक्ष सह-प्रबंध-निदेशक

कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IV की अनुसूची VI के अनुसार, कंपनी के तुलन पत्र का सारांश तथा सामान्य कारोबार की रूपरेखा

अनुसूची - 20

विवरण	ब्योरा
I पंजीयन विवरण	
1 पंजीकरण क्रमांक	012398
2 राज्य कोड	11
3 तुलन पत्र की तिथि	31.03.2010
	रूपये हजार में
II वर्ष दौरान उभारी गई पुंजी	
1 पब्लिक इश्यू	शून्य
2 राईट इश्यू	शून्य
3 बोनस इश्यू	1400000
4 प्रायवेट प्लेसमेंट (नीजिमांग)	शून्य
III निधि का संग्रहण एवं नियोजन की स्थिति	
1 कुल देयताएं	19617194
2 कुल परिसम्पत्ति	19617194
क निधि का स्त्रोत	
1 प्रदत्त पूंजी	1680000
2 आरक्षित एवं अधिशेष निधि	15093710
3 विलंबित कर देयताएं	128331
4 सुरक्षित कर्ज	शून्य
5 असुरक्षित कर्ज	शून्य
ख निधि का उपयोग :	
1 शुद्ध स्थायी परिसम्पत्ति	1965405
2 चालू पूंजीगत कार्य	221776
3 शुद्ध चालु परिसम्पत्ति	2128
4 निवेश	14712732
IV कंपनी का कार्यनिष्पादन :	
1 टर्न ओवर	9654709
2 शुद्ध टर्न ओवर	9630602
3 कुल खर्च	2562661
4 कर पूर्व लाभ	7067941
5 कर पश्चात लाभ	4663471
6 प्रति शेयर पर प्राथमिक एवं हास कमाई (रूपये)	27.76
7 लाभांश दर (%)	56%
V कंपनी के तीन प्रमुख उत्पाद /सेवाओं के सामान्य नाम :	
प्रोडक्ट का विवरण	आयटीसी कोड
1 मैंगनीज ओर 46% से उपर	26020001
2 मैंगनीज ओर 44% से 46% तक	26020002
3 इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय आक्साईड	28201001
4 फैरो मैंगनीज	72021100
5 पवन उर्जा संयंत्र के द्वारा विद्युत	3601

अनुसूची 1 से 20 इस वित्तीय विवरण का अविभाज्य अंग है !

कृते शाह बहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर के लिए
एफआरएन नं. 109513W

नीरज पाण्डेय
कम्पनी सचिव

(के.जी.कविश्वर)
उप महा प्रबंधक (वित्त)

(सी.ए. पी.एम.श्रावक)
भागीदार (एम.नं.109237)
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2010

(एम.ए.व्ही.गौतम)
निदेशक (वित्त)

(के.जे.सिंह)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष का मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड का नगद प्रवाही (कैश फ्लो)विवरण

(रूपये लाखों में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2009-10		वित्तीय वर्ष 2008-09	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
अ. प्रचालन कार्यविधी से नगद प्रवाह				
कर पूर्व शुद्ध लाभ एवं लाभांश		70679.41		100675.67
के हेतु समायोजनः				
(a) मूल्य ह्रास	2529.86		2466.58	
(b) अनुपयोगी संपत्ति बट्टे खाते में	12.30		17.65	
		2542.16		2484.23
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन के पूर्व का प्रचालन लाभ		73221.57		103159.90
के लिए समायोजन :				
अ) वस्तुसूची	1082.59		-3567.07	
ब) विविध देनदार	-2465.59		9784.06	
क) प्राप्य/उपजित ब्याज	-566.39		-3237.48	
अन्य चालू परिसम्मपत्ति	2.65		-25.41	
ड) कर्ज एवं पेशगियां	-1979.68		-3155.88	
ई) चालु देयताएं एवं प्रावधान	-5891.12		13947.05	
		-9817.54		13745.27
प्रचालन के द्वारा प्राप्त नगद		63404.03		116905.17
वर्ष के दौरान कर का प्रावधान		-24611.61		-34122.93
प्रचालन कार्य के द्वारा शुद्ध नगद राशि		38792.42		82782.24
ब)निवेश कार्यविधि से नकद राशि प्रवाह				
अ) स्थायी परिसम्पत्ति का क्रय	-2305.01		-4849.98	
ब) निवेश की खरीदी /बिक्री	-10.00		-10.00	
निवेश कार्यविधि में उपयोग में लाई गई शुद्ध नगद राशि		-2315.01		-4859.98
क) वित्त व्यवस्था कार्यविधि से नगद राशि प्रवाहः				
क) लाभांश (लाभांश वितरण कर को मिलाकर)		-10984.83		-15560.34
ड) शुद्ध वृद्वि/ (-)नगदी में कमी एवं समतुल्य नगदी		25492.58		62361.92
ई)खुला नगदी तथा समतुल्य नगदी		123217.21		60855.29
बंद नगदी तथा समतुल्य नगदी		148709.79		123217.21
शुद्ध वृद्वि/ (-)नगदी में कमी एवं समतुल्य नगदी		25492.58		62361.92

अनुसूची 1 से 20 इस वित्तीय विवरण का अविभाज्य अंग है !

कृते शाह बहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर के लिए
एफआरएन नं. 109513W

नीरज पाण्डेय
कम्पनी सचिव

(के.जी.कविश्वर)
उप महा प्रबंधक (वित्त)

(सी.ए. पी.एम.श्रावक)
भागीदार (एम.नं.109237)
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2010

(एम.ए.व्ही.गौतम)
निदेशक (वित्त)

(के.जे.सिंह)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

व्यवसाय खंड विषयक जानकारी

कंपनी ने चार प्रतिवेदन योग्य खंडों की अर्थात–मैंगनीज ओर, इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय आक्साईड,फैरो मैंगनीज तथा पवन टरबाईन जनरेशन यूनिट की पहचान कर ली गई है । इस खंडों को प्रोडक्ट एवं सेवाओं का रूप, विभिन्न जोखिम एवं प्राप्त तथा अंतर्गत व्यवसायों का प्रतिवृत्त देने वाली प्रणाली ध्यान में लेकर पहचान कराई गई है और उसका प्रतिवेदन दिया गया है । आंतर खंडों का अन्तरण एमबीईबी को दीगई/बिक्री के मूल्य/क्रेडीट के आधार पर की गई है ।

(रूपये लाख में)

क्र.	विवरण	मैंगनीज अयस्क 2009-10	मैंगनीज अयस्क 2008-09	ईएमडी 2009-10	ईएमडी 2008-09	फैरो मैंगनीज 2009-10	फैरो मैंगनीज 2008-09	डब्ल्यू.टी.जी. 2009-10	डब्ल्यू.टी.जी. 2008-09	विलोपन 2009-10	विलोपन 2008-09	संमेकित 2009-10	संमेकित 2008-09
1	राजस्व												
	(a) बाहरी बिक्री	91009.40	118728.26	579.60	928.21	4026.86	8003.01	931.23	824.58	0.00	0.00	96547.09	128484.06
	(b) आंतर खंड बिक्री	775.66	596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	445.95	480.02	-1221.61	-1076.73	0.00	0.00
	(c) कुल राजस्व	91785.06	119324.97	579.60	928.21	4026.86	8003.01	1377.18	1304.60	-1221.61	-1076.73	96547.09	128484.06
2	परिणाम												
	(a) खंड परिणाम	55421.87	83601.70	78.01	22.49	1852.77	5569.68	334.53	321.56	0.00	0.00	57687.18	89515.43
	(b) अन्य आय	12992.23	11160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12992.23	11160.24
	(c) कुल खंडपरिणाम	68414.10	94761.94	78.01	22.49	1852.77	5569.68	334.53	321.56	0.00	0.00	70679.41	100675.67
	(d) कर पूर्व लाभ											70679.41	100675.67
	(e) आयकर हेतु प्रावधान											24611.61	34122.93
	(f) विलंबित कर देयताएं											-566.91	173.41
	(g) कर पश्चात लाभ											46634.71	66379.33

क्र.	विवरण	मैंगनीज अयस्क 2009-10	मैंगनीज अयस्क 2008-09	ईएमडी 2009-10	ईएमडी 2008-09	फैरो मैंगनीज 2009-10	फैरो मैंगनीज 2008-09	डब्ल्यू.टी.जी. 2009-10	डब्ल्यू.टी.जी. 2008-09	विलोपन 2009-10	विलोपन 2008-09	संमेकित 2009-10	संमेकित 2008-09
3	अन्य जानकारीः												
	(a) खंड परिसपत्ति	24008.15	22112.56	711.86	498.47	2309.08	1286.05	7410.11	8595.83	161732.72	134487.17	196171.92	166980.08
	(b) खंड देयताए	4821.47	16160.20	49.91	3.02	373.79	9.11	0.00	0.00	23189.65	18720.53	28434.82	34892.86
	(c) पूंजीगत खर्च	2005.38	2002.89	41.28	83.58	15.28	53.69	0.00	2504.25	243.07	205.57	2305.01	4849.98
	(d) मुल्य ह्रास	1454.05	1446.58	47.39	36.97	21.71	24.05	1006.71	958.98	0.00	0.00	2529.86	2466.58

नोट :– म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पवन टरबाईन जनरेटर द्वारा निर्मित बिजली के बिल में क्रेडीट की गई राशि के द्वारा बालाघाट खान तथा फेरो मैंगनीज संयंत्र के विद्युत प्रभाव में सकल योगित किया गया है तथा खंड राजस्व पर पहुंचने के लिए उसे डब्ल्यू.टी.जी. पर आतंरित खंड राजस्व माना गया है ।

निगमित सम्मपति तथा निगमित देयताएं के अ–आबंटित पूंजीगत खर्च शामील है ।

सामाजिक सुख सुविधाओं का विवरण (खर्च एवं आय)

(आकडे लाख रुपयों में)

अ.क्र.	विवरण	चालू वर्ष				जोड	
		वसाहत	शिक्षा	चिकित्सा	कल्याण सेवा	के लिए 2009-10	के लिए 2008-09
1	वेतन एवं मजदूरी	31.69	74.91	58.27	142.23	307.10	286.23
2	पी.एफ.का अंशदान	3.20	8.85	6.72	14.52	33.29	33.18
3	भंडार सामग्री	24.59	15.60	5.38	44.54	90.11	87.97
4	बिजली	122.31	0.00	8.19	32.76	163.26	128.77
5	दवाई एवं इंजेक्शन	0.00	0.00	47.52	0.00	47.52	58.50
6	विविध खर्च	1.79	38.91	61.30	313.17	415.17	282.11
7	ठेकेदार – इमारत/अन्य मरम्मत	146.34	0.67	0.43	101.06	248.50	112.16
	उप जोड : अ	329.92	138.94	187.81	648.28	1304.95	988.92
8	मूल्य ह्रास	177.58	21.19	10.51	1.49	210.77	202.77
9	ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप जोड : ब	177.58	21.19	10.51	1.49	210.77	202.77
10	कुल खर्च (अ + ब) जोडः क	507.50	160.13	198.32	649.77	1515.72	1191.69
	कम करें :						
	बिजली से आय	7.82	0.00	0.00	0.85	8.67	6.63
	शाला बस से प्राप्ति	0.00	1.15	0.00	1.23	2.38	2.22
	क्रीडा/चिकित्सा/अन्य हेतु कल्याण आयुक्त से प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	2.02
	उप जोड ड	7.82	1.15	0.00	2.96	11.93	10.87
11	शुद्ध खर्च (क–ड)	499.68	158.98	198.32	646.81	1503.79	1180.82

सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक । सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रिया कलापों का समावेश करते हुए ।

मॉयल
MOIL

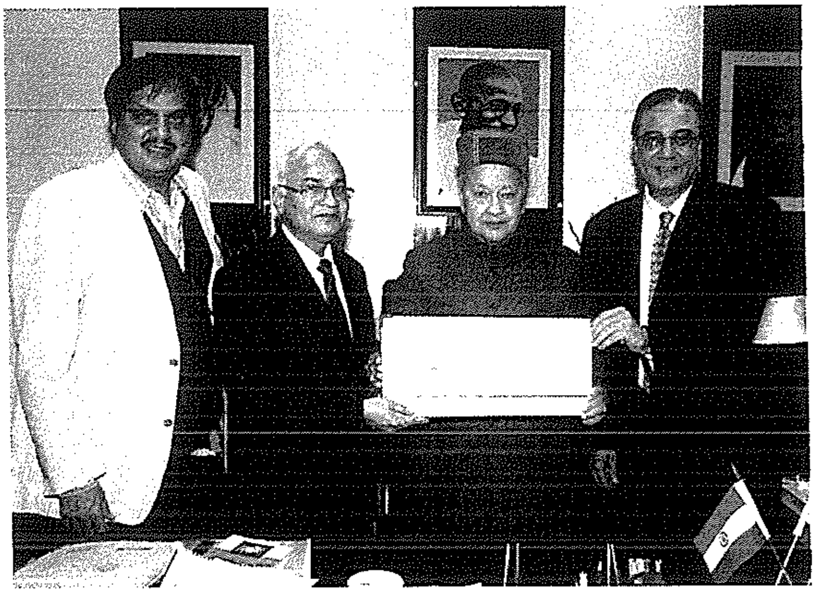

श्री के. जे. सिंह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मा.श्री विरभद्र सिंह, इस्पात मंत्री को लाभांश चेक भेट करते हुए । अन्य उपस्थितो में श्री ए. चतुर्वेदी सचिव, इस्पात मंत्रालय तथा डॉ. दलिप सिंह, संयुक्त सचिव,भारत सरकार दिखाई दे रहे है ।